मुख्य मंत्री
बिहार

बिहार सरकार

पटना
दिनांक : 29-08-13

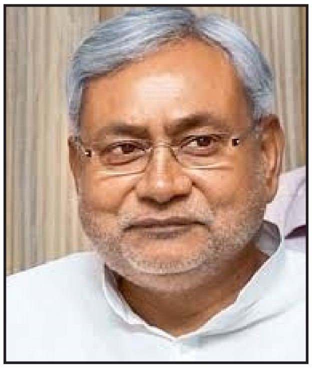

संदेश

सचिव

यह सही है कि एक विषय के तौर पर बाल अधिकार अपेक्षाकृत लोगों के बीच कम प्रचारित एवं नवीन है, लेकिन हाल में वर्षों में यह अपने महत्वपूर्ण संदर्भ के चलते काफी लोकप्रिय रहा है। माननीय सर्वोच्य न्यायालय ने बच्चे को 'सर्वाधिक महत्वपूर्ण थाती' के रूप में समझा है। स्वाभाविक तौर पर सरकार एवं न्याय से जुड़े व्यक्ति तो अपनी भूमिका बाल अधिकार को प्रतिस्थापित करने में लगा ही रहे है सामान्य जन भी इस कार्य में अपनी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। इस प्रकार जागृति से बच्चों के अधिकार के प्रति सीापना को तो बल मिला ही है बच्चे भी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होते जा रहे हैं। यद्यपि यह इतना सरल कार्य नहीं है कि रातो–रात सीापित किया जा सके परन्तु एक समेकित प्रयास के बल पर यह आशा की जा सकती है कि यह सुदृढ़ता से अपने आप को समाज में सीापित कर पायेगा।

व्यक्तिगत तौर पर प्रशासन से जुड़े विभिन्न पदो पर मैंने अपना योगदान दिया है तथा मेरे द्वारा संपादित कई कार्यों की सराहना भी हुई है लेकिन इसे स्वीकार करने में थोड़ी भी दिक्कत नहीं है कि बाल अधिकार संरक्षण आयोग, सचिव के रूप में प्राप्त अनुभव अतुलनीय है। बच्चों के द्वारा की गई शिकायत जब निष्पादित होती है तो उससे उपजे हर्ष एवं बच्चों के चेहरे पर खिली मुस्कान से अपार खुशी प्राप्त होती है। सही मायने में यह बाल हित से अधिक राष्ट्रहित का कार्य है। इस प्रकार के कार्य सिर्फ हमारी प्रशासनिक क्षमता की ही नहीं बल्कि हमारी संवेदनशीलता एवं नवीन सामाजिक प्रयोग की दक्षता का भी प्रमाण देती है। हमारे भीतर के मानवीय पक्षों को उद्घाटित करती है।

निश्चित तौर पर बाल अधिकार की प्रति सीापना एवं बाल अधिकार के हनन् से जुड़े मसलों में लिये गये निर्णयों/अनुशंसाओं को लागू करवाना एक जटिल एवं चुनौती पूर्ण कार्य है। किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अंतर्गत आयोग के अनुश्रवण के अधिकार एवं दायत्वि को पूरा करना अपने आप में एक चुनौती भरा कार्य है। उसी तरह चाहे वह शिक्षा के अधिकार अधिनियम का प्रशन हो या फिर बालको के लैंगिक शोषण से संरक्षण अधिनियम 2012 के प्रावधानों का बच्चों तक इन प्रावधानो को पहुँचाना तथा उसका फायदा दिलाना, बच्चों के जीवन को सुखमय बनाना, उन्हें संरक्षण प्रदान करना तथा उनके जीवन को पुनः मुख्य धारा से जोड़ना है। किशोर न्याय के विभिन्न घटको एवं तत्वों के बीच समन्वय की आवश्यकता है। बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग इस पुनीत कर्त्तव्य को करने में जुटा है।

हमें उम्मीद है कि हम बच्चों को उनके अधिकार दिलाने एवं उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ने में कामयाब होंगे तथा एक दिन वे राष्ट्र के जिम्मेदार नागरिक के रूप में अपनी भूमिका निभाने में सफल होंगे।

अनुक्रमणिका

क्र.	विषय	पृष्ठ
1.	पुनर्गठित आयोग	
2.	आँकड़ों के आइने में प्रतिबिंबित बच्चे	
	(क) विधि विरुद्ध बच्चे	
	(ख) देख–रेख एवं संरक्षण योग्य बच्चे	
	(ग) खोये–पाये बच्चे	
3.	आयोग द्वारा संपादित एवं कृत कार्य	
4.	उच्च न्यायालय के साथ अनुश्रवण: एक अभिनव प्रयोग का बीजारोपण	
5.	बच्चों का अधिकार पंचायत के द्वार तक : एक नवीन क्रांति का आगाज़	
6.	स्व–सशक्तिकरण एवं क्षमतावर्धन	
7.	कार्यशालाओं / सेमिनार / बैठकों में भागीदारी	
8.	नये विधान, नयी जिम्मेदारियाँ	
9.	वित्तीय मामले	
10.	सामाजिक कुरीतियाँ, बच्चे एवं आयोग की भूमिका	
11.	नये विहान के रथ पर बाल अधिकार आयोग	

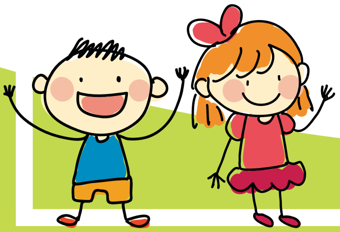

आयोग की संरचना

आयोग का प्रथम कार्यक्राल

क्र0	नाम एवं पदनाम	कब से	कब तक
01	श्रीमती निशा झा, अध्यक्ष	31.8.2010	31.08.2013
02	श्रीमती अपर्णा सिंह,सदस्य	1.9.2010	31.08.2013
03	श्रीमती शोभा प्रकाश कुशवाहा,सदस्य	1.9.2010	31.08.2013
04	श्रीमती ललिता सिंह,सदस्य	1.9.2010	31.08.2013
05	श्री विमल कुमार जैन,सदस्य	1.9.2010	31.08.2013
06	श्री शिव शंकर प्रसाद,निषाद,सदस्य	1.9.2010	31.08.2013
07	डॉ निशीन्द्र किंजल्क,सदस्य	1.9.2010	31.08.2013

आयोग का द्वितीय कार्यक्राल

क्र0	नाम एवं पदनाम	कब से	अवधि कब तक
01	श्रीमती निशा झा, अध्यक्ष	24.2.2014	18.5.2016
02	श्रीमती अपर्णा सिंह,सदस्य	26.2.2014	19.5.2016
03	डॉ निशीन्द्र किंजल्क,सदस्य	25.2.2014	18.5.2016
04	श्रीमती ललिता जायसवाल,सदस्य	28.2.2014	18.5.2016
05	श्री सत्येन्द्र कुमार गौतम,सदस्य	28.2.2014	18.5.2016
06	मो0 हाजी अब्दुस्स सत्तार,निषाद,सदस्य	25.2.2014	21.5.2016
07	श्री अरूण कुमार वर्मा,सदस्य	25.2.2014	18.5.2016

आयोग की अध्यक्ष

वर्ष 2010 में बिहार में जब पहली बार बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन हुआ तो उसकी बागडोर श्रीमती निशा झा को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर दिया गया। अपने 3 साल के प्रथम कार्यकाल में श्रीमती झा की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि आयोग की स्थापना एवं सामान्य जन मानस के बीच उसे प्रतिस्थापित करना था। सामान्य बच्चे भी इस बात से अवगत होने लगे की हमारे अधिकारों के हनन से संबंधों में बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग का कार्य रहा है। राजनीति शास्त्र की गहरी समझ रखने वाली श्रीमती झा ने अपनी जीवन का अधिकतर हिस्सा अपने प्रशासनिक पति के साथ गुजारा है। स्वाभाविक तौर पर शिक्षक पिता एवं प्रशासनिक दायित्वों निभाने वाले परिवार का प्रभाव इनके कार्यों में परिलक्षित होता रहा है। दूसरे कार्यकाल में भी इन्होंने अपनी प्रतिनिधि गुणों के बल पर एक संवेदनशील आयोग की स्थापना में महती भूमिका निभाई है। अपनी बेदाग छवि एवं बेलाग वक्ता के साथ–साथ विषय की गंभीरता एवं सक्षम रूप से ही मंच पर रखने के लिए ये प्रसिद्ध रहेगीं। बिहार में इन्होंने बाल अधिकार को मजबूती प्रदान करने एवं गाँव तक पहुँचाने हेतु अथक प्रयास किया है।

आयोग के सदस्य

श्रीमती अपर्णा सिंह : बिहार में बेतिया क्षेत्र में अपने राजनीतिक एवं सामाजिक सरोकारों तथा सामाजिक मुद्दों को लोगों के बीच प्रचारित–प्रसारित करने के लिए श्रीमती अपर्णा सिंह जानी जाती है। औरतों व बच्चों के अधिकारों के संरक्षण प्रति ये सचेष्ट रहते हुए लाल बत्ती क्षेत्र की लड़कियों के पुनर्वास, ऑरकेस्ट्रा में नृत्य करने वाली नाबालिगों के रोक–थाम, बाल विवाह पर जागरूकता व बाल श्रम से बच्चों को मुक्त कराने के क्षेत्र में अमूल्य योगदान दिया गया है। गरीब परिवारों की समस्याओं में व्यक्तिगत तौर पर दिलचस्पी लेकर उन्हें समस्याओं से ऊबारने में हर संभव मदद देने को तत्पर रहने वाली श्रीमती सिंह को राष्ट्रीय स्तर पर 'भारत ज्योति सम्मान', 'चम्पारण रत्न सम्मान', 'जागृति सम्मान' से सम्मानित किया गया है। बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य के रूप में इन्होंने अपना अमूल्य योगदान प्रथम कार्यकाल वर्ष 2010 से 2013 एवं द्वितीय कार्यकाल में वर्ष 2014 से 2016 तक दिया है।

डॉ० निशीन्द्र किंजल्क : आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज, पुणे से एम0 बी0 बी0 एस0 और मेडिसीन में एम0 डी0 डॉ० किंजल्क उत्तरी बिहार के जिलों में विगत 20 वर्षों से अभिवंचित लोगों के हित में काम कर रहे है। वे अपनी टीम के साथ गाँव में निःशुल्क मेडिकल कैंप लगाते है। भीख मांगने को हतोत्साहित करने के लिए 2010 से मुजफ्फरपुर में एक नवाचारी परियोजना चलाने वाले डॉ० किंजल्क संगीत में गहरी रूचि रखते हैं और भारत में 'म्युजिक थिरेपी' को बढ़ावा देने वाले अग्रणी व्यक्ति है। बिहार एवं खास तौर पर मुजफ्फरपुर में बच्चों के स्वास्थ्य एवं इंसेफलाईटिस जैसे रोगों के प्रति इनकी संवेदनशीलता इन्हें आयोग को दिये योगदान में सार्थक बनाते है। इनका कार्यकाल प्रथम एवं द्वितीय दोनों गठित आयोग में रहा।

श्रीमती ललिता जायवाल : सर्वप्रथम वर्ष 2000 में पोलियो उन्मूलन अभियान हेतु बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाने एवं वर्ष 2001 में कुष्ठ उन्मूलन अभियान के लिए कार्य करने तथा महिला विकास मंच नामक संस्था की नींव रखते हुए श्रीमती जायसवाल ने राजनैतिक व सामाजिक गतिविधियों में अपना कदम रखा। विशेष कर महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने, उनके अधिकार दिलाने एवं उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने हेतु लगातार प्रयासरत रही हैं। महिलाओं के साथ–साथ बच्चों के अधिकारों को संरक्षित करने, उन्हें परामर्शित करने एवं उनके अधिकारों को प्रतिस्थापित करने में इनका अमूल्य योगदान रहा है।

श्री अरूण कुमार वर्मा : मगध विश्वविद्यालय, बोध गया से भूगोल में स्नातकोत्तर, श्री वर्मा ने पत्रकारिता की पढ़ाई की किन्तु आर्थिक तंगी व परिवारिक समस्याओं के कारण परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित रहे। राजनैतिक क्षेत्र में सक्रिय श्री वर्मा वर्ष 2004 में दूरसंचार सलाहकार समिति, भारत सरकार के सदस्य पद पर मनोनित हुए। वर्ष 2010 में अति पिछड़े वर्गो के लिए गठित राज्य आयोग के सदस्य के रूप में उनका योगदान उल्लेखनीय रहा। कैथल वैश्य, कथवनिया, सिंदूरिया व बनिया जैसे अभिवंचित समुदायों के जातियों का सर्वेक्षण कर इन्हें अतिपिछड़ी जातियों की सूची में सम्मिलित कराने में श्री वर्मा का अमूल्य योगदान रहा है। सेमिनार एवं कार्यशालाओं में बच्चों के अधिकार विषय पर अपने मुखर वक्तव्य के लिए ये जाने जाते हैं। शैक्षणिक संस्थान में भी इन्होंने अपना योगदान दिया है।

मो0 हाजी अब्दुस्स सत्तार : मो0 सत्तार की राजनैतिक जीवन की शुरूआत 1978 ई0 में जे0 पी0 आंदोलन के बाद सम्पन्न विधान सभा चुनाव से हुई जिसमें उनका सक्रिय योगदान रहा। राजनैतिक क्षेत्र से एक लम्बे अरसे तक जुड़े रहने के साथ–साथ सामाजिक क्षेत्र में भी उनका योगदान सराहनीय रहा है। गरीब व जरूरतमंद व्यक्तियों के सहायता के लिए संकल्पित रहने वाले मो0 सत्तार को सामाजिक क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्यों के लिए अनेक बार सम्मानित किया गया है।

श्री सत्येन्द्र कु0 गौतम ऊर्फ सत्येन्द्र मांझी : मगध विश्वविद्यालय, बोध गया से हिन्दी में स्नातक व मगही में स्नातकोत्तर श्री गौतम द्वारा हरित बिहार बनाने की दिशा में एक अनोखा प्रयास करते हुए प्रत्येक वर्ष दस हजार पौधों का निःशुल्क वितरण एवं शुभ अवसर पर लोगों को फल का निःशुल्क वितरण किया जाता है। वृझारोपन व पर्यावरण संरक्षण के साथ समाज के अभिवंचित वर्ग के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने में समर्पण भाव से कार्य किया गया है।

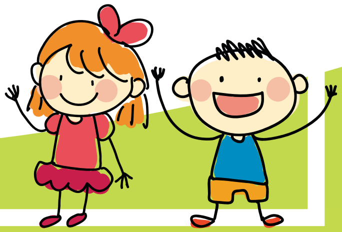

श्री अजय कुमार, आयोग के विधि परामर्शी : प्रशिक्षण हो या किसी कानूनी पहल पर राय, कार्यशाला हो या किसी नीति निर्धारण का विषय, गूढ़ से गूढ़ विषयों पर अपनी स्पष्ट राय रखने वाले श्री कुमार ने बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग को स्थापित करने, अन्य विभागों के साथ समन्वय स्थापित करने आयोग एवं बच्चों के अधिकार संबंधी विषयों पर कानूनी राय देने के हरेक मामलों को संजीदगी से निभाया है। बच्चों के अधिकारों के प्रति अपने सजगता द्वारा ही ये अध्यक्ष, सचिव एवं सभी सदस्यों के साथ मिलकर आयोग के दोनों कार्यकाल में अपनी अलग छाप छोड़ी है।

आयोग के सचिव

क्रमांक	नाम	योगदान की तिथि	कब तक
01	**श्रीमती डॉ. एन. विजयलक्ष्मी** (भा. प्र. से.) (अतिरिक्त प्रभार)	09.02.2011	31.05.2011
02	**श्रीमती अंशुली आर्या** (भा. प्र. से.) (अतिरिक्त प्रभार)	01.06.2011	13.02.2012
03	**श्री यागेन्द्र भक्त** (भा. प्र. से.) (अतिरिक्त प्रभार)	14.02.2012	30.09.2012
04	**श्रीमती डॉ. एन. विजयलक्ष्मी** (भा. प्र. से.) (अतिरिक्त प्रभार)	13.02.2013	09.06.2014
05	**श्रीमती अंशुली आर्या** (भा. प्र. से.) (अतिरिक्त प्रभार)	16.06.2014	26.02.2015
06	**श्रीमती हरजोत कौर** (भा. प्र. से.) (अतिरिक्त प्रभार)	02.03.2015	21.01.2016
07	**श्रीमती सुजाता चलाना** (भा. प्र. से.) (अतिरिक्त प्रभार)	22.01.2016	17.05.2016

01. उप सचिव : रिक्त पद
02. प्रशासी पदाधिकारी : श्रीमती गीता
03. बाल संरक्षण पदाधिकारी : (1) श्रीमती रचना सिन्हा
    (2) श्रीमती मधुरिमा प्रसाद
    (3) श्रीमती ममता
04. लेखापाल–सह–भंडारपाल : श्री देव भूषण त्रिपाठी
05. परामर्शी : श्री अजय कुमार (यूनिसेफ)
06. डाटा इन्ट्री ऑपरेटर : (1) श्री रोहित श्रीवास्तव
    (2) श्री राज कुमार सिंह

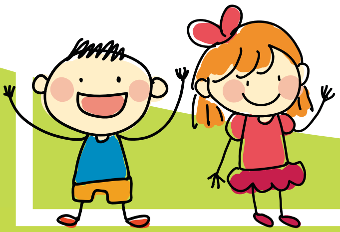

पुनर्गठित आयोग

बाल अधिकार संरक्षण आयोग अर्थात एक ऐसी संस्था जो बच्चों के अधिकारों को संरक्षण प्रदान करे तथा उन्हें उनके अधिकारों को दिलाने में सहायक हो। बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के अन्तर्गत बच्चों के अधिकारों के संबंध में एक ऐसी प्रतिनिधि संस्थान जो राज्य की कुल आबादी के चालीस प्रतिशत जनसंख्या को सीधे तौर पर प्रभावित करती है, जबकि उसके प्रभाव क्षेत्र का दायरा राज्य की संपूर्ण आबादी पर है क्योंकि कहीं ना कहीं उन बच्चों का संबंध संभवतः प्रत्येक व्यक्ति से होता है। जनसंख्या के लिहाज से बिहार भारत का दूसरा बड़ा राज्य है। स्वाभाविक तौर पर इतने बड़े जनसंख्या वाले राज्य में आयोग का महत्व एवं आवश्यकताएँ न सिर्फ जनसंख्या वरण आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं अन्य विद्यमान कारकों एवं परिस्थितियों के चलते और भी बढ़ जाता है। बिहार सरकार द्वारा अपने राज्य के बच्चों के हित में 2010 में एक सशक्त आयोग का गठन किया गया। सम्पूर्ण देश में संभवतः यह पहला आयोग था जहाँ न सिर्फ अध्यक्ष समेत छः सदस्य थे बल्कि उनका मानदेय क्रमशः मुख्य सचिव एवं सचिव के समतुल्य दिया गया है। वर्ष 2013 में तीन वर्ष की नियमानुकूल अवधि होने के बाद फरवरी 2014 में आयोग का पुनर्गठन किया गया। पुनर्गठित आयोग में पुनः अध्यक्ष समेत छः सदस्य नियुक्त किये गये। पिछले आयोग के तुलना में इस बार वैसे सदस्यों का चयन किया गया जिनका अनुभव एवं सरोकार सामाजिक स्तर पर अधिक रहा था। सदस्यों के साथ–साथ आयोग के पदाधिकारियों की संख्या पूर्व के आयोग की तुलना में अधिक हुई। इसके साथ–साथ बजट इत्यादि का प्रावधान भी समुचित रूप से किया गया। दूसरे शब्दों में आयोग अधिक सशक्त एवं सुदृढ़ता के साथ न सिर्फ गठित हुआ बल्कि राज्य के बच्चों को उनके अधिकार दिलाने की राह पर सतत रूप से अग्रसर है।

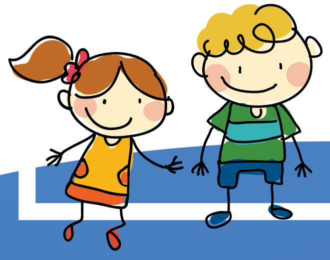

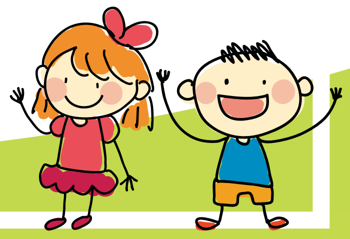

आँकड़ों के आइने में प्रतिबिंबित बच्चे

आँकड़े दर्पण के तरह होते है। किसी व्यक्ति, संस्था या राज्य के द्वारा पेश किये गये आँकड़ों से न सिर्फ संबंधित विषय की वस्तुस्थिति बल्कि कार्यशैली, गुणवत्ता के साथ–साथ उपलब्धि एवं सफलताएँ भी उजागर होती है। किशोर न्याय व्यवस्था का जन्म इसलिए भी हुआ था कि बच्चों के मामले में मौजूदा न्यायिक व्यवस्था से अलग हटकर एक ऐसी व्यवस्था हो जहाँ बच्चों के विकास की संभावनाएँ बनी रहें तथा बच्चे न्याय पाने के लिए व्यवस्था की चक्की में पिस कर नहीं रह जाएँ। यह पुनरावृति करना बहुत उचित नहीं होगा कि वर्तमान किशोर न्याय व्यवस्था के अंतर्गत मुख्य रूप से दो प्रकार के बच्चों को चिन्हित किया गया है:–

(क) विधि विरूद्ध बच्चे

(ख) देख–रेख एवं संरक्षण योग्य बच्चे।

इनके अतिरिक्त कई ऐसे बच्चे हैं जो गवाही के दौरान या फिर अन्य कारणों से इस व्यवस्था के अंतर्गत आ जाते हैं। जब हम आँकड़ो के गणित का विश्लेषण करते हैं तो दृष्टिगोचर होता है कि बिहार में किशोर न्याय व्यवस्था की स्थिति अच्छी नहीं है, यद्धपि आयोग ने व्यवस्था में परिवर्तन के लिए लगातार प्रयत्न किये है तथा विभिन्न स्तर पर अनेक प्रकार के कार्यक्रमों, गोष्ठियों एवं सेमिनारों के अतिरिक्त संबंधित पदाधिकारियों एवं व्यक्तियों के साथ मिलकर एक बदलाव का प्रयत्न किया है। हम आयोग के उन प्रयत्नों को आगे की अध्यायों में देखेंगें। यहाँ पर सर्वप्रथम आँकड़ों में झांकने का प्रयत्न करते हैं जो किशोर न्याय व्यवस्था की मौजूदा हालात को दर्शाती है।

Percentage Distribution of the Pending in Juvenile Justice Board according to nature of cases up to 31st March

Sl. No.	District Name	Heinous	%	Not Heinous	%	Total
1	Aurangabad	178	23.0	595	77.0	773
2	Begusarai	233	29.2	566	70.8	799
3	Bhagalpur	458	62.0	281	38.0	739
4	Banka	77	26.4	215	73.6	292
5	Bhojpur at Arrah	258	43.1	341	56.9	599
6	Buxar	490	80.3	120	19.7	610
7	Darbhanga	471	79.8	119	20.2	590
8	E. Champaran at Motihari	475	51.4	449	48.6	924
9	Gaya	783	49.4	801	50.6	1584
10	Gopalganj	279	39.9	421	60.1	700
11	Jamui	165	49.3	170	50.7	335
12	Jehanabad	253	63.4	146	36.6	399
13	Arwal	106	75.7	34	24.3	140
14	Kaimur at Bhabua	166	34.6	314	65.4	480
15	Katihar	152	27.3	404	72.7	556
16	Khagaria	69	14.3	415	85.7	484
17	Madhepura	256	59.7	173	40.3	429
18	Madhubani	102	14.6	597	85.4	699
19	Munger	372	72.5	141	27.5	513
20	Lakhisarai	212	85.5	36	14.5	248

Percentage Distribution of the Pending in Juvenile Justice Board according to nature of cases up to 31st March

Sl. No.	District Name	Heinous	%	Not Heinous	%	Total
21	Sheikhpura	81	49.7	82	50.3	163
22	Muzaffarpur	475	63.4	274	36.6	749
23	Sheohar	85	59.9	57	40.1	142
24	Nalanda at Biharsharif	536	76.2	167	23.8	703
25	Nawada	128	33.4	255	66.6	383
26	Patna	1922	46.2	2240	53.8	4162
27	Purnia	87	32.2	183	67.8	270
28	Kishanganj	34	41.0	49	59.0	83
29	Araria	143	46.0	168	54.0	311
30	Rohtas at Sasaram	379	51.4	358	48.6	737
31	Saran at Chapra	767	53.4	668	46.6	1435
32	Saharsa	218	69.6	95	30.4	313
33	Supaul	36	22.5	124	77.5	160
34	Samastipur	396	35.4	724	64.6	1120
35	Sitamarhi	408	29.4	980	70.6	1388
36	Siwan	256	37.0	435	63.0	691
37	Vaishali	493	59.5	336	40.5	829
38	West Champaran	218	44.1	276	55.9	494
	TOTAL	12217	46.9	13809	53.1	26026

Details of Cases disposed by Child Welfare Committee during the Period Jan-March 2016

Sl. No.	District Name	No. of Cases transerred to other Dist/State/country			No. of Children restored to their family			No. of Children declared legally free for Adoption			No. of Children reffered to sponsorship/Foster Care		
		Cases	Boys	Girls	Cases	Boys	Girls	Cases	Boys	Girls	Cases	Boys	Girls
1	Araria	0	0	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0
2	Arwal	0	0	0	6	2	4	2	1	1	0	0	0
3	Aurangabad	0	0	0	13	8	5	1	0	1	0	0	0
4	Banka	2	2	0	3	1	2	0	0	0	1	1	0
5	Begusarai	1	0	1	6	4	2	0	0	0	0	0	0
6	Bhabhua	4	4	0	6	5	1	0	0	0	0	0	0
7	Bhagalpur	4	3	1	11	11	1	1	0	1	0	0	0
8	Bhojpur	0	0	0	37	34	4	0	0	0	0	0	0
9	Buxar	0	0	0	45	37	8	5	2	3	0	0	0
10	Darbhanga	3	3	0	113	108	5	7	1	6	0	0	0
11	East Champaran	1	1	0	34	36	1	0	0	0	0	0	0
12	Gaya	57	52	5	141	110	29	4	0	4	0	0	0
13	Gopalganj	0	0	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0
14	Jamui	0	0	0	7	6	0	1	0	1	0	0	0
15	Jehanabad	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0
16	Kathihar	33	29	4	29	23	6	0	0	0	0	0	0
17	Khagaria	2	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0
18	Kishanganj	0	0	0	53	81	17	1	0	1	0	0	0
19	Lakhisarai	0	0	0	6	1	5	0	0	0	0	0	0
20	Madhepura	4	4	0	15	15	0	2	0	2	0	0	0

Details of Cases disposed by Child Welfare Committee during the Period Jan-March 2016

Sl. No.	District Name	No. of Cases transerred to other Dist/State/country			No. of Children restored to their family			No. of Children declared legally free for Adoption			No. of Children reffered to sponsorship/Foster Care		
		Cases	Boys	Girls	Cases	Boys	Girls	Cases	Boys	Girls	Cases	Boys	Girls
21	Madhubani	0	0	0	13	10	3	1	0	1	0	0	0
22	Munger	2	2	0	6	3	3	0	0	0	0	0	0
23	Muzaffarpur	64	52	12	53	38	15	7	3	4	1	0	1
24	Nalanda	0	0	0	29	27	2	0	0	0	0	0	0
25	Nawada	0	0	0	4	21	5	3	0	3	0	0	0
26	Patna	126	121	5	282	241	41	26	11	15	2	1	1
27	Purnia	12	11	1	62	52	10	0	0	0	0	0	0
28	Rohtas	0	0	0	12	7	0	1	0	1	0	0	0
29	Saharsa	10	10	0	12	9	3	0	0	0	0	0	0
30	Samastipur	1	0	1	49	38	11	1	0	1	0	0	0
31	Saran	0	0	0	26	14	12	0	0	0	0	0	0
32	Sheikpura	0	0	0	7	3	4	0	0	0	0	0	0
33	Sheohar	0	0	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0
34	Sitamarhi	11	10	1	52	48	4	5	0	5	0	0	0
35	Siwan	4	3	1	12	7	5	1	1	0	0	0	0
36	Supaul	0	1	0	9	6	2	0	0	0	0	0	0
37	Vaishali	0	0	0	21	21	0	0	0	0	0	0	0
38	West Champaran	2	0	2	19	15	4	3	0	3	0	0	0
	TOTAL	**343**	**308**	**36**	**1212**	**1061**	**214**	**72**	**19**	**53**	**4**	**2**	**2**

Duration wise pending cases in all the Child Welfare Committee up to the Period 31st March 2016

Sl. No.	District Name	Less than 3 month	3-4 Months	4-8 Months	8-12 Months	More than 12 Months	Total
1	Araria	0	0	0	0	0	0
2	Arwal	0	1	0	0	2	3
3	Aurangabad	7	3	9	18	6	43
4	Banka	6	2	2	1	3	14
5	Begusarai	28	12	2	2	14	58
6	Bhabhua	4	4	4	4	6	22
7	Bhagalpur	12	12	12	12	12	60
8	Bhojpur	4	4	4	4	16	22
9	Buxar	7	7	7	7	7	35
10	Darbhanga	13	12	10	9	1	45
11	East Champaran	2	3	3	5	12	25
12	Gaya	32	6	7	19	11	75
13	Gopalganj						0
14	Jamui	2				31	33
15	Jehanabad	2	2	2	2	1	9
16	Kathihar	32	2				34
17	Khagaria					1	1
18	Kishanganj	6	4			2	12
19	Lakhisarai	8	2	15	21	23	69
20	Madhepura	4	1	0	0	0	5
21	Madhubani	6	1	1	3	6	17
22	Munger	4	4	4	4	6	22

Duration wise pending cases in all the Child Welfare Committee up to the Period 31st March 2016

Sl. No.	District Name	Less than 3 month	3-4 Months	4-8 Months	8-12 Months	More than 12 Months	Total
23	Muzaffarpur	20	20	20	20	21	101
24	Nalanda	16	2	1	1	0	20
25	Nawada	2	3	1	6	1	13
26	Patna	74	44	29	37	85	267
27	Purnia	13	10	13	13	16	65
28	Rohtas	7	3	5	4	2	21
29	Saharsa	15	3	2	5	24	49
30	Samastipur	15	15	15	15	15	75
31	Saran	3	3	3	3	3	15
32	Sheikhpura			2			2
33	Sheohar	1	1				2
34	Sitamarhi	4	31	2	13	2	52
35	Siwan	3	2	3	1	0	9
36	Supaul						0
37	Vaishali	3	3	3	3	2	14
38	West Champaran	10	3	7	3	17	40
	TOTAL	**365**	**225**	**188**	**235**	**338**	**1349**

THE DISTRICT WISE DATE OF MISSING CHILDREN FOR THE PERIOD FROM JANUARY 2012 TO DECEMBER 2015 IS DETAILED HEREIN BELOW

Sl. No.	Districts	Missing	Traced	Yet to be Traced
1	Patna	719	381	338
2	Nalanda	289	152	137
3	Gaya	246	128	118
4	Aurangabad	111	65	46
5	Jehanabad	104	56	48
6	Arwal	69	48	21
7	Bhojpur	146	115	31
8	Buxar	34	18	16
9	Rohtas	194	139	55
10	Nawada	140	87	53
11	Kaimur (Bhabhua)	188	127	61
12	Muzaffarpur	613	390	223
13	Vaishali	234	85	149
14	Sitamarhi	240	212	28
15	Sheohar	33	22	11
16	West Champaran (Bettiah)	62	42	20
17	East Champaran (Bettiah)	338	236	102
18	Bagaha	61	38	23
19	Saran	398	293	105
20	Siwan	126	69	57
21	Gopalganj	358	248	110
22	Darbhanga	392	245	147
23	Madhubani	146	104	42
24	Samastipur	245	145	100
25	Purnea	98	67	31
26	Araria	17	11	6
27	Kishanganj	76	52	24
28	Katihar	131	66	65
29	Saharsa	66	43	23
30	Supaul	29	15	14
31	Madhepura	40	14	26
32	Bhagalpur	150	134	16
33	Banka	108	70	38
34	Naugachia	41	36	5
35	Munger	87	48	39
36	Jamui	66	38	28
37	Lakhisarai	124	80	44
38	Sheikhpura	39	21	18
39	Khagaria	155	102	53
40	Begusarai	203	131	72
41	Rail Muzaffarpur	23	13	10
42	Rail Jamalpur	3	2	1
43	Rail Katihar	1	0	1
44	Rail Patna	50	41	9
TOTAL		6993	4429	2564

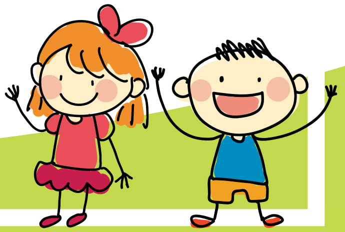

(1) माननीय अध्यक्ष श्रीमती निशा झा की अध्यक्षता में दिनांक–24.11.2014 को गैर सरकारी संस्था के राज्य प्रोग्राम प्रबंधक/अध्यक्ष के साथ अगामी वार्षिक कार्य योजना में भागीदारी एवं सह भागिता हेतु बैठक की गई, जिसमें सेन्टर डायरेक्ट, प्रथम, प्लान इंडिया तथा बचपन बचाओ अंदोलन आदि से प्रतिभागियों ने भाग लिया ।

(2) दिनांक–15.03.2016 को माननीय अध्यक्ष श्रीमती निशा झा की अध्यक्षता में कारा में रह रहे महिला बंदियों के साथ रह रहे बच्चों के संबंध में बैठक की गई थी, जिसमें बच्चों की स्थिति की चर्चा की गई। साथ ही सभी संबंधित आँकड़ा की माँग की गई।

(3) दिनांक–18.02.2015 को अध्यक्ष द्वारा जिला सभागार, मुजफ्फरपुर में इंसेफ्लाइटिस से प्रभावित क्षेत्रों की अद्यतन स्थिति से संबंधित समीक्षात्मक बैठक की गई, जिसमें इस बीमारी की रोकथाम हेतु की गई कार्रवाई एवं आगामी कार्ययोजना से संबंधित प्रतिवेदन की माँग की गई है, जिसमें इस बीमारी की रोकथाम हेतु की गई कार्रवाई एवं आगामी कार्य योजना से संबंधित प्रतिवेदन में माँग की गई।

(4) दिनांक–11.12.2014 को बच्चों के अधिकार के संरक्षण में जनप्रतिनिधियों की भागीदारी हेतु बैठक की गई थी।

(5) नव अस्तित्व फाउंडेशन, जनहित सेवा मंडल एवं लेमन इन्टरटेंमेंट इवेंट के तत्वावधान में 20 ऐसी महिलाओं को सम्मानित करने के उद्देश्य से दिनांक–18.03.2016 को श्रीमती निशा झा, अध्यक्ष, बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग को स्पमिजपउम ।बीपमअमउमदज]ूतक से सम्मानित किया गया।

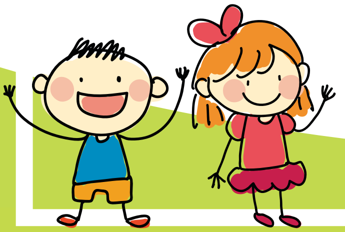

आयोग द्वारा संपादित एवं कृत कार्य

(1) दिनांक 18.02.2015 को अध्यक्ष द्वारा जिला सभागार, मुजफ्फरपुर में इंसेफ्लाइटिस से प्रभावित क्षेत्रों की अद्यतन स्थिति से संबंधित समीक्षात्मक बैठक की गयी, जिसमें इस बिमारी के रोकथाम हेतु की गयी कार्रवाई एवं आगामी कार्ययोजना पर चर्चा की गई व आवश्यक निदेश दिये गये।

(2) दिनांक–05.08.2015 को निःशक्तता से संबंधित विभिन्न योजनाओं की अद्यतन स्थिति हेतु अध्यक्ष,बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा सदस्य, श्रीमती ललिता जायसवाल व सहायक निदेशक समाजिक सुरक्षा की उपस्थिति में बैठक की गयी।

(3) दिनांक–11.04.2016 को अध्यक्ष,श्रीमती निशा झा की अध्यक्षता में पर्यवेक्षण गृह/बाल गृह से भागे बच्चों के संबंध में बैठक की गयी, जिसमें निदेशक/उप–निदेशक/सहायक निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय व बाल संरक्षण पदाधिकारी भोजपुर एवं सहरसा उपस्थित थे। इस संबंध में माननीय अध्यक्ष द्वारा बच्चों की सुरक्षा, संरक्षण एवं पुनर्वास पर विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता जतायी गयी। साथ ही भविष्य में ऐसी लापरवाही न हो एवं बच्चे बाल गृह में सुरक्षित रहे, इस संबंध में आवश्यक दिशा–निर्देश दिया गया।

(4) दिनांक–30.06.2016 को State Society for Ultra Poor and social Welfare के सभागार में दिव्यांगों हेतु समावेशी शिक्षा पर परामर्शी कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का आयोजन दिव्यांगों को शिक्षा के मुख्य धारा में शामिल करने हेतु समावेशी शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने पर आधारित था। कार्यशाला में बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग से श्रीमती रचना सिन्हा, बाल संरक्षण पदाधिकारी द्वारा भाग लिया गया।

(5) आये दिन विभिन्न गाँवों/पंचायतों में आगजनी की घटना घटित होने के कारण बच्चों की शिक्षा अनवरत रखने तथा भविष्य में इसके बचाव हेतु व जख्मी बच्चों के बेहतर ईलाज एवं स्वास्थ्य के देख–भाल हेतु बिहार के सभी जिला पदाधिकारियों से प्रतिवेदन की माँग की गयी।

‘बच्चों के अधिकार एवं शिक्षकों की भूमिका’ पर एक दिवसीय कार्यशाला

दिनांक–18.02.2014 को बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, नई दिल्ली के सहयोग से ’बच्चों के अधिकार एवं शिक्षकों की भूमिका’ पर केन्द्रित एक दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन होटल पाटलिपुत्र अशोक, पटना में किया गया जिसमें सुश्री कुशाल सिंह, अध्यक्ष, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया गया।

कार्यशाला में बाल अधिकार के लिए शिक्षा को महत्वपूर्ण बताते हुए शिक्षकों को संवेदनशील बनाने की आवश्यकता पर बल दिया गया।

''एक दिवसीय राज्यस्तरीय कार्यशाला''
विशेष समुदाय के बच्चों की समस्या एवं समाधान– एक परिचर्चा

दिनांक–21.02.2015
स्थल–अनुग्रह नारायण सिन्हा सामाजिक अध्ययन संस्थान

बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग, वर्ल्ड विजन इंडिया, एटसेक के संयुक्त तत्वाधान में विशेष समुदाय के महिलाओं के बच्चों को मुख्यधारा में लाने की दिशा में राज्यस्तरीय कार्यशाला का आयोजन दिनाक–21.02.15 को किया गया।

विशिष्ट अतिथि, माननीय श्री0 वी0 एन0 सिन्हा द्वारा बताया गया कि बच्चों को किसी खास वर्ग में बांट कर नहीं देखना चाहिए बल्कि बच्चों को उम्र के हिसाब से रखा जाए, ताकि उनको सही अधिकार एवं संरक्षण मिल सके।

श्रीमती निशा झा, पूर्व अध्यक्ष, बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा बच्चों के स्वस्थ जीवन, जीने का अधिकार, बेटा–बेटी में समानता का अधिकार, सुरक्षित गर्भ आदि पर चर्चा की गयी। सरकार द्वारा क्रियान्वित योजना सभी तक पहुँचे। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत विशेष समुदाय के बच्चों का स्कूलों में नामांकन आदि पर चर्चा की गयी। बिहार को एक रॉल मॉडल के रूप में विकसित करना तथा लाल बत्ती का प्रयोग न कर विशेष समुदाय के प्रयोग पर जोर दिया गया । इन क्षेत्रों के बच्चे जो आज तक शिक्षा एवं अन्य योजनाओं से वंचित थे उन्हें सरकार की सभी योजनायें यथा कन्या सुरक्षा योजना, छात्रवृति पोशाक, साइकिल एवं अन्य योजनाओं का लाभ मिल सके पर चर्चा की गयी।

डॉ० एन० विजयालक्ष्मी, सी0 ई0 ओ0, जीविका द्वारा जीविका प्रणाली एवं ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूह एवं सरकार द्वारा क्रियान्वित सभी योजनाओं पर चर्चा की गई।

श्री आर0 एन0 सिंह, बि0 शिक्षा परियोजना के प्रधान सचिव द्वारा विशेष समुदाय के बच्चों को जोड़ने के लिए बाल पंजी का जिक्र किया गया।

श्री मुख्तारूल हक, बचपन बचाओं अन्दोलन द्वारा बाल श्रम उन्मूलन पर चर्चा की गयी।

श्री परमहंस जी (आहट) संस्थापक द्वारा सुझाव दिया गया कि हर गाँव में चाईल्ड प्रोटेक्शन कमिटी का निर्माण हो तथा उन्हें लाल बत्ती के नाम से नहीं वरण विशेष समुदाय के नाम से जाना जाए।

श्री अनिल मिश्रा द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन में आ रही परेशानियों का जिक्र किया गया ।

बीन चाव, (वर्ल्ड विजन इंडिय), श्री गौमत (एटसेक), श्री मनोज, मो0 महफूज आलम, तथा इनर विल क्लब, की पूर्व अध्यक्षा एवं विभिन्न जिलों से आए विशेष समुदाय के महिलाओं द्वारा अपने विचार प्रकट किया गया।

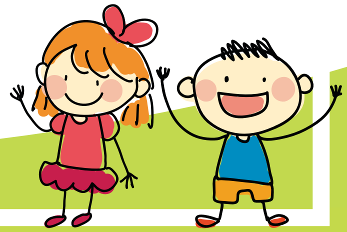

बिहार दिवस 2015

बिहार राज्य के गठन के फलस्वरूप प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को बिहार दिवस, बिहार सरकार द्वारा मनाया जाता है। पूरे हर्षों उल्लास के साथ बिहार वासी बिहार दिवस मनाते है। बिहार की संस्कृति, परम्परा एवं विभिन्न विभागों द्वारा कृत कार्यों की झलक पटना के गाँधी मैदान एवं बिहार के सभी जिलों के मुख्यालय में खुशहाल माहौल में मनाया जाता है।

इसी आलोक में दिनांक–22.3.15 से 24.3.15 के समारोह में बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग के स्टॉल का निर्माण किया गया। आयोग के स्टॉल पर बच्चों के अधिकार एवं उनके संरक्षण हेतु बुकलेट, पम्पप्लेट आदि रखा गया था।

आयोग के प्रचार–प्रसार के उद्देश्य से बच्चे उनका अधिकार एवं हमारी भूमिका तथा पोक्सो एक्ट से संबंधित थ।फ ठववा का वितरण किया गया। इस हेतु स्थल प्रबंधन समिति,स्वागत समिति स्टॉल समिति एवं खान–पान समिति का गठन आयोग के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के बीच किया गया। बिहार दिवस समारोह के दौरान बच्चों के अधिकार एवं संरक्षण यथा शिक्षा के अधिकार अधिनियम, पोक्सो एक्ट आदि गम्भीर विषयों का वृहत् रूप से प्रचार–प्रसार किया गया।

कारा में रह रहे बच्चों के संबंध में बैठक

दिनांक–15.03.2016

दिनांक–15.03.2016 को बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग की पूर्व अध्यक्ष, श्रीमती निशा झा की अध्यक्षता में कारा में रह रहे बच्चों के संबंध में बैठक की गई।

आयोग के द्वारा भ्रमण के क्रम में यह बात प्रकाश मे आयी कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे भी कारा में रह रहे है। अवकाश रक्षित पदाधिकारी, कारा निरीक्षणालय द्वारा बताया गया कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को माँ के साथ रहने की अनुमति के उपरान्त रखा जाता है। 6 वर्ष के उपरान्त ये बच्चे किस प्रक्रिया के तहत अभिभावक को सौंपा जाता है एवं उनके अभिभावक का सत्यापन इत्यादि विषयों पर प्रतिवेदन की माँग की गयी।

कारा में रह रहे 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के सर्वांगिण विकास के लिए की गई व्यवस्था, इस क्षेत्र में कार्य कर रही स्वयं सेवी संस्थानों के नाम आदि गर्भ में पल रहे बच्चों के संरक्षण हेतु की गई कार्रवाई यथा टीकाकरण, महिला चिकित्सक से प्रसव पूर्व जाँच, कारा से बाहर संस्थानों एवं पर्यवेक्षण गृह में भेजे गये बच्चों का आँकड़ा की भी माँग की गयी ताकि विशेष समुदाय के बच्चे/बाल श्रम/बच्चों में मानव व्यापार/गुमशुदा बच्चे/पोक्सो एक्ट 2012/पोर्नोग्राफी इत्यादि गम्भीर विषयों पर प्रकाश डाला जा सके।

प्रमुख वाद, वर्ष 2014–2015

(1) कैम्ब्रीज पब्लिक स्कूल, इसोपुर, फुलवारी शरीफ,पटना के विरूद्ध आयोग को एक शिकायत प्राप्त हुई, जिसमें एक बच्ची का नामांकन वर्ष 2011 में आर0 टी0 ई0 के तहत किये जाने के बावजूद फीस की माँग की जा रही थी। साथ ही फीस नहीं देने पर स्कूल से नाम काट देने का दबाव दिया जा रहा था।

संदर्भित मामले पर आयोग द्वारा संज्ञान लेते हुए दोनों पक्षों को सुना गया व आवश्यक जाँच की गयी, जिसके उपरान्त बच्ची को न्याय मिला। बच्ची अब नियमित विद्यालय जा रही है व उसे फीस के लिए अब परेशान नहीं किया जा रहा है।

(1) डी0 ए0 भी0 पब्लिक स्कूल,कैन्ट एरिया, गया के प्राचार्य के विरूद्ध एक शिकायत आयोग को प्राप्त हुई, जो उस विद्यालय के एक छात्र एवं छात्रा को विद्यालय परित्याग के उपरान्त मूल जन्म प्रमाण पत्र नहीं लौटाये जाने से संबंधित था।

प्राप्त आवेदन पर आवश्यक कार्रवाई हेतु संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी को निदेशित किया गया, जिसके उपरान्त आवेदक द्वारा मूल जन्म प्रमाण पत्र मिल जाने की सूचना आयोग को दी गयी।

(3) सेंट जेवियर स्कूल, गाँधी मैदान,पटना की आठवीं कक्षा की एक छात्रा को विद्यालय के कुछ छात्रों द्वारा अभद्र शब्दों का प्रयोग करने व परेशान करने की शिकायत आयोग को प्राप्त हुई। आवेदिका द्वारा इस संबंध में विद्यालय प्रबंधन से शिकायत की गयी थी, किन्तु विद्यालय द्वारा उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गयी। साथ ही छात्रा को विद्यालय आने से मना करते हुए शिक्षा के अधिकार से वंचित किया गया।

आयोग द्वारा मामले की गंभीरता को देखते हुए हर पहलु की जाँच की गयी व अथक प्रयास के बाद बच्ची को अन्ततः न्याय मिला। अब बच्ची नियमित विद्यालय जा रही है व किसी तरह की परेशानी उसे नहीं है।

(4) गुरू वशिष्ट विद्यालय, हाजीपुर द्वारा एक छात्रा को मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हुए विद्यालय से निष्कासित करने का मामला आयोग के संज्ञान में आया। आयोग के पहल से छात्रा को न्याय मिला और अब बच्ची विद्यालय जा रही है।

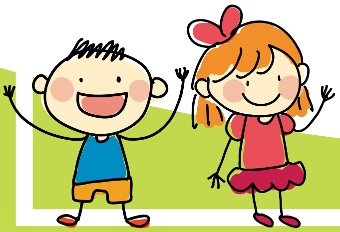

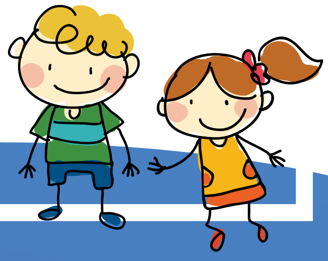

शिक्षा का अधिकार से संबंधित आयोग में आहूत प्रमण्डलवार बैठक जिलावार विद्यालयों में

शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत जिलावार विद्यालयों में नामांकन एवं इससे जुड़े मामले की स्थिति हेतु बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा प्रमण्डलवार बैठक बिहार बाल संरक्षण आयोग के पूर्व अध्यक्ष,श्रीमती निशा झा की अध्यक्षता में विभिन्न जिलों से आये जिला शिक्षा पदाधिकारियों के साथ आयोग कार्यलय में की गयी।

विभिन्न तिथियों में हुई प्रमण्डलवार बैठक निम्न प्रकार से है:—

क्रं0	प्रमण्डल—	बैठक की तिथि—	उपस्थिति—
1	पटना प्रमण्डल—	दिनांक—08.05.2015	जिला शिक्षा पदा0,पटना,बक्सर,रोहतास,नालन्दा,भोजपुर,कैमूर
2	कोशी प्रमण्डल	दिनांक—19.05.2015	जिला शिक्षा पदा0 सहरसा,कार्यक्रम पदा0,मधेपुरा
3	मगध प्रमण्डल	दिनांक—19.05.2015	जिला शिक्षा पदा0,गया,अरवल,जहानाबाद,औरंगाबाद
4	सारण प्रमण्डल	दिनांक—21.05.2015	जिला शिक्षा पदा0,सीवान,योजना एवं लेखा कार्यक्रम पदा0,सारण
5	दरभंगा प्रमण्डल	दिनांक—28.05.2015	जिला शिक्षा पदा0,दरभंगा,समस्तीपुर,कार्यक्रम पदा0,मधुबनी
6	तिरहुत प्रमण्डल	दिनांक—28.05.2015	जिला शिक्षा पदा0,वैशाली,सीतामढ़ी,बेतिया,मुजफ्फरपुर,शिवहर
7	पूर्णिया प्रमण्डल	दिनांक—29.05.2015	जिला कार्यक्रम पदा0,किशनगंज,अररिया,पूर्णिया
8	मुंगेर प्रमण्डल	दिनांक—28.04.2016	जिलाशिक्षा पदा0, लखीसराय,जमुई,बेगूसराय,मुंगेर,खगड़िया,शेखपुरा
9	भागलपुर प्रमण्डल	दिनांक—28.04.2016	जिला कार्यक्रम पदा0, बांका

आयोग में आयोजित प्रमण्डलवार बैठक में प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर आर.टी.ई. के तहत नामांकन की स्थिति निम्नवत है :—

पटना प्रमण्डल

पटना	वर्ष	आर.टी.ई. के तहत नामांकन की संख्या
	2011–12	319
	2012–13	329
	2013–14	700
	2014–15	690

बक्सर	वर्ष	कुल नामांकन	25 प्रतिशत आर.टी.आई. के तहत नामांकन
	2013–14	–	14
	2014–15	2365	506
रोहतास	2014–15	6908	1727
नालन्दा	2013–14	–	22
	2014–15	–	50
कैमूर	2013–14	–	225
	2014–15	–	261
भोजपुर	2013–14	–	225
	2014–15	–	261

कोसी प्रमण्डल

मधेपुरा	वर्ष	25 प्रतिशत आर.टी.आई. के तहत नामांकन
	2014–15	156
	2015–16	48

सहरसा

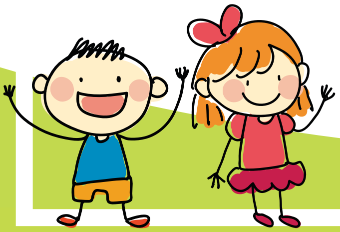

कोसी प्रमण्डल

जहानाबाद	वर्ष	25 प्रतिशत आर.टी.आई. के तहत नामांकन
	2013	179
	2014	181
अरवल	2014–15	113
औरंगाबाद	2014	57
	2015	12
गया	2014	159
	2015	05

सारण प्रमण्डल

गोपालगंज आर.टी.आई के तहत कुल नामांकित बच्चों की संख्या – **1678**

दरभंगा प्रमण्डल

समस्तीपुर	वर्ष	25 प्रतिशत आर.टी.आई. के तहत नामांकन
	2013–14	194
	2014–15	668
दरभंगा	2013–14	–
	2014–15	2205
मधुबनी	2013–14	–
	2014–15	41

तिरहुत प्रमण्डल

मुजफ्फरपुर	वर्ष	25 प्रतिशत आर.टी.आई. के तहत नामांकन
	2014–15	252
शिवहर	2011–16	341

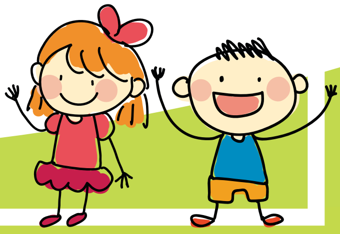

प.चम्पारण	2013—14	56
	2014—15	519
वैशाली	2014—15	688
सीतामढ़ी	2013—14	15
पूर्वी चम्पारण	2014—15	221

पूर्णिया प्रमण्डल

	वर्ष	25 प्रतिशत आर.टी.आई. के तहत नामांकन
कटिहार	2013—14	06
	2014—15	580
अररिया	2014—15	3105
	2015—16	2969
किशनगंज	2013—14	302
	2014—15	440

मुंगेर प्रमण्डल

	वर्ष	25 प्रतिशत आर.टी.आई. के तहत नामांकन
जमुई	2014—15	470
	2015—16	291
मुगेर	2014—15	847
	2015—16	415
शेखपुरा	2014—15	85
	2015—16	461
लखीसराय	2014—15	276
	2015—16	440
खगड़िया	2010—15	1043

भागलपुर प्रमण्डल

	वर्ष	25 प्रतिशत आर.टी.आई. के तहत नामांकन
बांका	2014—15	1180
	2015—16	1285
भागलपुर	2014—15	138
	2015—16	516

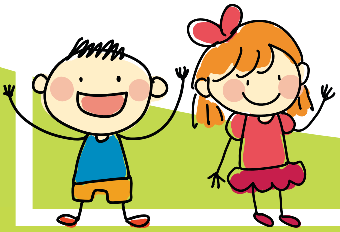

आर0 टी0 आई0 के तहत नामांकन की संख्या

जिला	वर्ष 2013–14	वर्ष 2014–15
पटना	700	690
बक्सर	14	506
रोहतास	–	1727
नालन्दा	22	50
कैमूर	225	261
भोजपुर	225	261
मधेपुरा	156	48
जहानाबाद	179	181
अरवल	–	113
औरंगाबाद	–	57
गया	–	159
समस्तीपुर	194	668
दरभंगा	–	2205
मधुबनी	–	41
मुजफ्फरपुर	–	252
पश्चिम चम्पारण	56	519
वैशाली	–	688
सीतामढ़ी	15	–
पूर्वी चम्पारण	221	–
कटिहार	06	580
अररिया	–	3105
किशनगंज	302	440
जमुई	–	470
मुंगेर	–	847
शेखपुरा	–	85
लखीसराय	–	176
बाँका	–	1180
भागलपुर	–	138

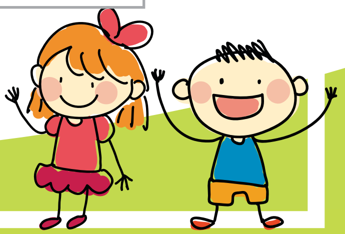

प्रस्वीकृत निजी विद्यालयों की संख्या

जिला का नाम	प्रस्वीकृत निजी विद्यालयों की संख्या
पटना	168
बक्सर	30
रोहतास	228
नालन्दा	230
सहरसा	57
जहानाबाद	10
अरवल	06
औरंगाबाद	224
गोपालगंज	155
समस्तीपुर	262
दरभंगा	162
मधुबनी	94
मुजफ्फरपुर	138
शिवहर	40
पश्चिम चम्पारण	40
वैशाली	76
सीतामढ़ी	85
पूर्वी चम्पारण	165
कटिहार	105
अररिया	185
किशनगंज	63
जमुई	65
मुंगेर	220
लखीसराय	60
खगड़िया	30
बेगूसराय	73
बांका	166
भागलपुर	62

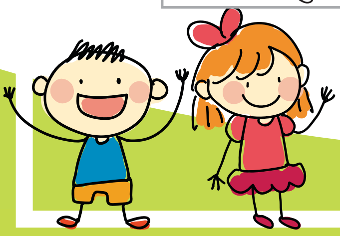

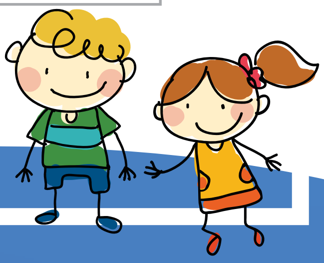

उच्च न्यायालय के साथ अनुश्रवण
'एक अभिनव प्रयोग का बीजारोपण'

बच्चों के अधिकार संबंधित अधिनियमों, क्रियान्वयन अनुश्रवण एवं उनके प्रचार–प्रसार से संबंधित कार्यक्रमों का एक अभिनव प्रयोग का बीजारोपण बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने पटना उच्च न्यायालय के किशोर न्याय अनुश्रवण समिति के साथ मिलकर प्रारंभ किया। भारतवर्ष की इतिहास में संभवतः बच्चों के अधिकार संबंधित यह पहला प्रयोग था। इसके तहत 2015 के मई–जून महिने में माननीय न्यायमूर्त्ति, श्री वी0 एन0 सिन्हा, सेवानिवृत अध्यक्ष,पटना उच्च न्यायाल, किशोर न्याय अनुश्रवण समिति के नेतृत्व में बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा बिहार के सभी प्रमंडल के स्तर पर संबंधित जिलों के जिलाधिकारी, जिला न्यायधीश, पुलिस अधीक्षक,सहायक निदेशक, बाल संरक्षण एवं कुछ अन्य पदाधिकारियों के साथ बाल संरक्षण एवं बाल अधिकारों को प्रदान करने के संबंध में न सिर्फ गहन विचार विमर्श किया बल्कि आगे के कार्यक्रम की रूप रेखा को भी तय किया। प्रमंडल स्तर पर मई एवं जून 2015 में सम्पन्न इन कार्यक्रमों में वहाँ के आयुक्त एवं समाज कल्याण विभाग के पदाधिकारी ने भी हिस्सा लिया था। प्रमंडल स्तर के इन कार्यक्रमों को आयोजित कराने में यूनिसेफ एवं राज्य विधि समन्वय ने अहम भूमिका निभाई।

प्रमंडल स्तर के इन अनुश्रवण कार्यक्रमों में बाल अधिकार से जुड़े विभिन्न मुद्‍दों, व्यवस्था, संचालित गृहों, किशोर न्याय परिषद, बाल कल्याण समिति, विशेष किशोर पुलिस इकाई, जिला बाल संरक्षण इकाई के क्रियाकलापों, संचालित योजनओं यथा परवरिश इत्यादि की भी समीक्षा की गई। पटना प्रमंडल से शुरू होकर इन अनुश्रवण कार्यक्रमों को अन्य प्रमंडलों में ले जाया गया। ये कार्यक्रम जहाँ भी आयोजित हुए वहाँ अवस्थित विभिन्न गृहों का भी उच्च न्यायालय अनुश्रवण समिति एवं आयोग द्वारा गहनता से किये गये तथा अधिकारियों को आवश्यक निदेश जारी किये गये।

अनुश्रवण कार्यक्रम के दौरान समाज कल्याण विभाग के निदेशक तथा विशेष किशोर पुलिस इकाई के

राज्य नोडल पदाधिकारी, अनुसंधान विभाग के पदाधिकारी श्री अरविंद पांडेय की मौदूदगी में उनके अधिकारियों के साथ बाल अधिकार पर चर्चा की गई। समाज कल्याण विभाग के सचिव, श्री अरविंद कुमार चौधरी की कई एक स्थानों पर उपस्थिति भी रही। इन कार्यक्रमों में पुलिस, न्याय एवं सामान्य प्रशासन से जुड़े पदाधिकारियों ने बाल अधिकारों से जुड़े मुद्‌दों की यथास्थिति को रखा। माननीय न्यायमूर्त्ति एवं अध्यक्ष, बाल अधिकार संरक्षण आयोग के समक्ष रखा, उनके निदेशों को ध्यान से सुना तथा भविष्य में उसके पूर्ण परिपालन करने पर सहमति जतायी।

माननीय उच्च न्यायालय समिति एवं आयोग द्वारा किशोर न्याय परिषद एवं बाल कल्याण समिति के कार्यों की भी समीक्षा की गई। उच्च न्यायालय एवं आयोग द्वारा एक स्पष्ट दिशा–निर्देश भी जारी किया गया तथा दत्तक ग्रहण एवं परवरिश के संबंध में और भी प्रयत्न करने की आवश्यकता पर बल दिया गया। इन कार्यक्रमों में खोये हुए बच्चे के संबध में संबंधित वेबसाइट तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी निदेशों पर भी गहन चर्चा की गई एवं आवश्यक निदेश दिये गये।

आयोग द्वारा इस प्रकार के अनुश्रवण कार्यक्रमों को प्रत्येक छः माह पर आयोजित करने के संबंध में भी विचार किया गया तथा उसे क्रियान्वित करने के प्रयासरत रहने पर बल दिया गया। प्रतिभागियों एवं अधिकारियों ने भी इस प्रकार के कार्यक्रमों की आवश्यकता तथा समयबद्ध रूप से उसे आयोजित करने के संबंध में अपनी सहमति जतायी। उनका मानना था कि इन कार्यक्रमों के आयोजित होने से न सिर्फ बाल अधिकार विषय को बढ़ावा मिलेगा बल्कि इस विषय की गंभीरता को लोग खास तौर पर अधिकारीगण समझ पाएगें तथा बच्चों को ससमय उनका अधिकार मिल पाएगा। प्रमंडल एवं जिलों के स्तर पर आम जन भी इस विषय से परिचित हो पायेंगे एवं बच्चों के अधिकार दिलाने में अपनी भूमिका अदा कर पायेंगें।

बच्चों का अधिकार पंचायत के द्वार तक

एक नवीन क्रांति का आगाज़

बच्चों के अधिकार पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र अधिवेशन,1989 के बाद विश्व के अनेक देशों में न सिर्फ कानून एवं योजनाएं बनी, बल्कि इन विषयों पर जागरूकता के लिए भी भरसक प्रयत्न किए गए। भारत के अनेक राज्यों ने भी इस संबंध में सार्थक प्रयास किए। इसमें दो मत नहीं कि जागरूकत की सर्वाधिक आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्रों एवं वहाँ के निवासियों को होती है, खास तौर पर बच्चों एवं महिलाओं को। उनके लिए बनने वाली योजनाएं बड़े समूहों तक नहीं पहुँच पाती हैं। इसी समस्या के निराकरण के प्रयास के तौर पर बिहार विधिक सेवा प्राधिकार के तत्कालिक अध्यक्ष माननीय श्री वी० एन० सिन्हा (अवकाश प्राप्त)द्वारा एक जागरूकता अभियान की शुरूआत करने का पहल किया गया। इस अभियान की रूपरेखा इस प्रकार तैयार की गई कि इसमें समाज के विभिन्न वर्गो के प्रतिनिधि या संबंधित अधिकारी/कार्यकर्त्ता को जोड़ कर पंचायत के स्तर पर जागरूकता फैलाने की योजना समाहित की गई।

विधिक सेवा एवं सहायता समाज के एक बड़े तबके को प्रदान किया जाता है, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं। यद्धपि यह विडंबना है कि बच्चे, उनके माता–पिता, अभिभावक एवं संबंधित पदाधिकारी जो बच्चे के विकास एवं संरक्षण कार्यो से जुड़े है, बहुत से प्रावधानों एवं योजनाओं से अनभिज्ञ है। उन सबों को जागरूक एवं संवेदनशील करने के लिए इस जागरूकता अभियान की शुरूआत की गई। इसमें विधिक सेवा प्राधिकार के साथ पंचायती राज, बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग एवं अन्य आयोग तथा यूनीसेफ के प्रतिनिधिओं ने अहम भूमिका निभाई। सरकार के विभिन्न विभाग एवं उसके पदाधिकारीगण जिले स्तर पर बढ़–चढ़ कर हिस्सा लिया। बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग का प्रतिनिधित्व अध्यक्ष श्रीमती निशा झा ने किया तथा विधिक सेवा के साथ सर्वाधिक जिलों का भ्रमण किया। यूनीसेफ की ओर से श्री अजय कुमार जो बाल अधिकार संरक्षण आयोग के परामर्शी भी हैं, ने हिस्सा लिया। जागरूकता के संबंध में यह अपने आप में एक अनूठा कार्यक्रम रहा।

यह अभियान वर्ष 2015 में दिनांक–26.05.2015 से 27.09.2015 तक माननीय कार्यकारी अध्यक्ष, बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार न्यायमूर्ति श्री वी0 एन0 सिन्हा के नेतृत्व में विधिक जागरूकता अभियान प्रदेश के तीस जिला विधिक सेवा प्राधिकार क्रमशः बेगूसराय, भागलपुर, मुंगेर, जमुई, लखीसराय, मधुबनी, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, गया, वैशाली, जहानाबाद, नालन्दा, भोजपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, बेतिया, समस्तीपुर, खगड़िया, नवादा, शेखपुरा, छपरा, भभुआ, औरंगाबाद, बाँका, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज एवं अररिया में आयोजित किया गया।

इस जागरूकता शिविर में विधिक सेवा प्राधिकार अधिनियम, मध्यस्थता से लाभ, बिहार पीड़ित प्रतिकर स्कीम, 2014, बच्चों से संबंधित कानून, बाल अधिकार, पंचायत की भूमिका,परवरिश तथा अन्य योजनाओं पर भी प्रकाश डाला गया, जिससे उपस्थित लोग लाभान्वित हो सके।

उक्त जागरूकता अभियान में माननीय कार्यकारी अध्यक्ष,बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार न्यायमूर्ति श्री वी0 एन0 सिन्हा, बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के पदाधिकारीगण, पंचायती राज विभाग के प्रतिनिधि, समाज कल्याण विभाग, महिला विकास निगम तथा अन्य विभाग के प्रतिनिधिगण के साथ–साथ अध्यक्ष,बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा भी 28 विधिक जागरूकता कार्यक्रम में भाग लिया गया। चुनाव आचार संहिता लागू हो जाने के कारण दिनांक–12.09.2015 से 27.09.2015 तक के कार्यक्रम यथा भभुआ, औरंगाबाद,बाँका, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज एवं अररिया में अध्यक्ष,बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा भाग नहीं लिया जा सका।

शिविर में विभिन्न विभाग के प्रतिधिनियों द्वारा अपने–अपने विभाग से संचालित होने वाली योजनाओं पर प्रकाश डाला गया। उपस्थित समुदाय को यह बताया गया कि उक्त योजनाओं के पात्र कौन है, उन्हें योजना से क्या लाभ मिल सकता है, आवेदक को किस पदाधिकारी से सम्पर्क करना है इत्यादि। उपस्थित एन0जी0 ओ0 द्वारा भी उनके कार्यों व कार्यशैली पर प्रकाश डाला गया।

अध्यक्ष,बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा प्रत्येक जागरूकता शिविर में आयोग के गठन का

उद्देश्य, आयोग के क्षेत्राधिकार व आयोग के कार्यशैली पर प्रकाश डाला गया। बाल अधिकार, जो 0 से 18 वर्ष तक के आयु के बच्चों को प्राप्त है के संबंध में विस्तृत चर्चा की गयी। पोक्सो एक्ट के अन्तर्गत विभिन्न प्रावधानों पर प्रकाश डाला गया व बच्चों को प्रदत्त शिक्षा का अधिकार पर विशेष बल दिया गया।

इसी तरह बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के प्रतिनिधि/अधिकारियों द्वारा प्राधिकार के अन्तर्गत संचालिस योजनाओं,कार्यशैली व संगठन के स्वरूप पर चर्चा की गयी। धारा 12 विधिक सेवा प्राधिकार अधिनियम के अन्तर्गत यह जानकारी दी गयी कि किसी भी व्यक्ति का चाहे उसकी जाति, लिंग, उम्र, आमदनी कुछ भी हो, यदि उसके विधिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो उसके अधिकारों को पुर्नस्थापित कराया जाएगा। अन्य विषयों के साथ–साथ दहेज प्रताड़ना अधिनियम, पोस्को अधिनियम, काराधीन व्यक्ति के अधिकार, बालकों के अधिकार पर लोगों को जागरूक करने का भरसक प्रयास किया गया।

माननीय कार्यकारी अध्यक्ष महोदय द्वारा विभिन्न योजनाओं पर लोगों का ध्यान आकृष्ट करते हुए इस बात पर विशेष बल दिया गया कि यदि एक माँ का गर्भ अवस्था के दौरान देख–भाल व चिकित्सा समुचित ढ़ग से की जाए तो वह एक स्वस्थ्य बच्चे को जन्म देगी। यदि उस स्वस्थ्य बच्चे को 5 वर्ष आयु तक उचित पोषण दी जाए तो वह एक स्वस्थ्य बालक होगा तथा यदि उसे 18 वर्ष आयु तक पोषण के साथ उचित शिक्षा दी जाए तो भविष्य में व अच्छा नागरिक बनेगा तथा उसमें अपराध के प्रति अरूचि होगी। इससे हमारा समाज विकसित होगा इस बात पर बल दिया गया कि विभिन्न योजनाओं का लाभ जागरूकता के अभाव में लोगों तक नहीं पहुँच पाता है। जागरूकता फैलाने व कमजोर वर्ग की सहायता का विशेष दायित्व समाज के समृद्ध व शिक्षित वर्ग का है।

स्व–सशक्तिकरण एवं क्षमतावर्द्धन

आयोग की अध्यक्ष/सदस्यों एवं पदाधिकारियों का क्षमता विकास कार्यक्रम संबंधी प्रशिक्षण का आयोजन 'Centre for Child and Law (C.C.L) of National Law School of India University, Bangaluru' के सहयोग से किया गया। प्रशिक्षण की अवधि दिनांक–14.4.15 से दिनांक–19.4.15 तक National Law School of India University, Bangaluru में निर्धारित की गई थी।

Name of Participants:- (प्रतिभागी का नाम)

1. अध्यक्ष, श्रीमती निशा झा
2. सदस्य, श्रीमती अपर्णा सिंह
3. सदस्य, श्रीमती ललिता जायसवाल
4. सदस्य, श्री अरूण कुमार वर्मा
5. सदस्य, श्री सत्येन्द्र मांझी
6. प्रशासी पदा0, श्रीमती संगीता कुमारी
7. बाल संरक्षण पदा0, श्रीमती रचना सिन्हा
8. श्री अजय कुमार, राज्य विधिक समन्वयक, किशोर न्याय व्यवस्था,यूनीसेफ एवं परामर्शी,बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग,बिहार,पटना।

उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम यूनिसेफ के सहयोग से किया गया था। यूनिसेफ के राज्य विधि समन्वयक एवं परामर्शी बिहार बाल अधिकार आयोग श्री अजय कुमार के साथ अध्यक्ष सहित आयोग के सदस्यों एवं पदाधिकारियों की एक टीम क्षमतावर्धक बैंगलूरू गई। इस क्षमतावर्धक कार्यक्रम NLSIU के समन्वयक एवं रिसोर्स पर्शन द्वारा किया गया, जिसमें Ms. Arlene Manoharan की देख–रेख में प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न किया गया।

आयोग के सुचारू एवं प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सदस्यों एवं पदाधिकारियों को बाल अधिकार विधियों एवं कार्यक्रमों तथा बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम एवं बिहार नियमावली पर प्रशिक्षित करने एवं क्षमता विकास के उद्देश्य से विभिन्न अधिनियमों पर यथा CPCR Act, शिक्षा के अधिकार अधिनियम J.J Act, POCSO Act से संबंधित विषयों पर विस्तृत प्रशिक्षण दिया गया।

बदलते वक्त एवं परिस्थिति के साथ कानून में भी परिवर्तन अवश्यमभावी होता है। कानून में होने वाले बदलाव के अनुरूप माननीय न्यायालयों के द्वारा पारित आदेश एवं उसको लागू करने की स्थिति तथा जिम्मेदारियाँ भी बलती रहती है। स्वाभाविक तौर पर प्रत्येक्ष या परोक्ष रूप से जुड़े सभी संस्थाओं/ व्यक्तियों एवं एजेंसियों की

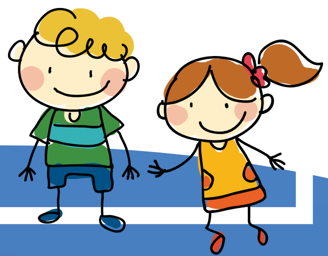

भूमिका एवं जिम्मेदारी भी अपना रूप परिवर्तित करती है। उन बदली हुई परिस्थितियों एवं जिम्मेदारियों को प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्द्धन कार्यक्रमों के माध्यम से स्वशक्तिकरण किया जाता है।

बच्चे एवं उनके अधिकारों के विषय में यह आसानी से कह जा सकता है कि हमारी जानकारी एवं कार्य करने के तरीके अभी उस स्तर पर नहीं पहुँच पाये है जिसकी कानून अपेक्षा करता है। सदस्यों का चुनाव विभिन्न कार्य समूह से किया जाता है। दूसरे शब्दों में अलग–अलग कार्यों में लिप्त व्यक्तियों को सदस्य के तौर पर चुना जाता है। यह भी सत्य है कि हमारी परवरिश एक ऐसे न्याय व्यवस्था में हुई जिसका मूल आधार दण्डात्मक है। जबकि बच्चों के लिए एक अलग ''सुधारात्मक'' न्याय व्यवस्था की अवधारणा पर आधारित है। इन नये प्रयोगों को समझने एवं उसे क्रियात्मक रूप देने के उद्देश्य स प्रशिक्षण कार्यक्रम के आयोजन का आयोग द्वारा फैसला लिया गया।

कानून प्रवर्तन एजेंसियों, आई0 सी0 पी0 एस0, आई0 सी0 डी0 एस0 एवं बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग के पदाधिकारी को महिलाओं एवं बच्चों की तस्करी की रोकथाम विषयक सुग्रहयता प्रशिक्षण हेतु दिनांक–01.07.2015 से 03.07.2015 तक श्रीमती रचना सिन्हा,बाल संरक्षण पदाधिकारी, बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग का राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान, लखनऊ में प्रशिक्षण दिया गया/ बच्चों की तस्करी के सम्भावित कारणों एवं रोकथाम आदि पर क्षमता विकास के उद्देश्य से प्रशिक्षण दिया गया।

कार्यशालाओं/सेमिनार/बैठकों में भागीदारी

क्र0 सं0	दिनांक	बैठक	प्रतिभागी/संस्था का नाम
01	14.03.2014 एवं 15.03.14	Standareds of Care and Mental Health पर अर्न्तराष्ट्रीय सेमिनार	माननीय अध्यक्ष,बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग,पटना/Amity University Campus, Noida
02	21.03.2014	अधीक्षक पर्यवेक्षण गृह,पटना के साथ बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष की बैठक	माननीय अध्यक्ष,बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग,पटना।
03	21.05.2014	विभिन्न राज्यों के बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष की बैठक	माननीय अध्यक्ष,बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग,पटना/India Habitat Centre, New Delhi
04	06.06.2014	आयोग की बोर्ड की बैठक	माननीय अध्यक्ष, सदस्यगण,सचिव एवं पदाधिकारीगण।
05	24.06.2014	Eastern Regional level Round Table conference on "extend social Protection Combat child Labour Gwahati.	माननीय अध्यक्ष,बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग,पटना।
06	25.06.2014	Encephalitis Monitoring Muzaffarpur.	माननीय अध्यक्ष,बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग,पटना।
07	07.07.2014	मानव तस्करी रोकने के लिए–होटल चाणक्य	माननीय अध्यक्ष,बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग,पटना।
08	02.08.2014	आयोग की सामान्य बैठक	माननीय अध्यक्ष,सदस्यगण,सचिव।
09	20.09.2014	Workshop on Child Protection to Community leaders at Nav jyoti Niketan Kurji,Patna.	माननीय अध्यक्ष,बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग,पटना।
10	23.09.2014	National Convention on Inclusive Education of children with special Needs, Vigyan Bhawan, New Delhi.	माननीय अध्यक्ष,बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग,पटना।
11	22.11.2014	Identification & replication of Best practices in wash sector's of Bihar.	माननीय अध्यक्ष,बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग,पटना।
12	07.12.2014	मिथिलांचल कला,संस्कृति और विकास दशा पर एक दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार	माननीय अध्यक्ष,बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग,पटना।
13	11.12.2014	बाल अधिकार संरक्षण के संबंध में बैठक	माननीय अध्यक्ष, प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग,बिहार,पटना।
14	13.12.2014	Graduation Day function in N.D.A Patna	माननीय अध्यक्ष,बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग,पटना।
15	15.12.2014	रेनबोहोम में बच्चों के जन्म दिन में भाग लेने से संबंधित	माननीय अध्यक्ष,बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग,पटना।
16	19.12.2014	आयोग की बोर्ड की बैठक	माननीय अध्यक्ष,सदस्यगण,सचिव एवं पदाधिकारीगण।

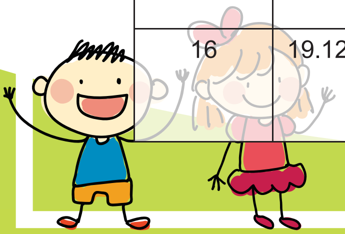

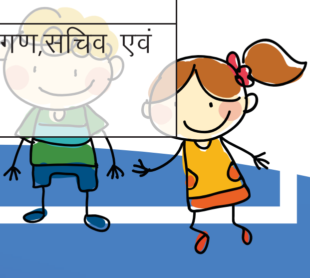

17	26.12.2014	बाल श्रम एवं बाल अधिकार मुद्दे पर कार्य करने वाली संस्थाओं के बीच परिसंवाद।	माननीय अध्यक्ष,बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग,पटना।
18	21.01.2015	पर्यवेक्षण गृह, पटना में हुई बच्चे की दुखद घटना के संबंध में बैठक।	अध्यक्ष,सचिव, समाज कल्याण विभाग,पटना।
19	30.01.2015	To examine the State of Affairs of observation. Participants- Secretary, Social welfare, Director, Additional Director general of Police.	माननीय अध्यक्ष,बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग,पटना।
20	30.01.2015	माननीय उच्च न्यायालय,पटना की जुवेनाइल जस्टिस अनुश्रवण समिति की बैठक में जिला बाल संरक्षण समिति (DCPU) के विभिन्न Stake Holders.	माननीय अध्यक्ष,बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग,पटना।
21	15.02.2015	Divisional Level meetion (Patna) on child protection convened by Hon'ble Patna High Court J.J Monitoring Committee.	माननीय अध्यक्ष,बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग,पटना।
22	18.02.2015	मुजफ्फरपुर में इंसफेलाइटिस से प्रभावित क्षेत्रों की अद्यतन स्थिति से संबंधित समीक्षात्मक बैठक।	स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग,बाल संरक्षण ईकाइ एवं सभी वाई आयुक्त, नगर निगम, मुजफ्फरपुर।
23	20.02.2015	देह व्यापर में संलिप्त परिवार के बच्चों को मुख्य धारा एवं सम्मान जीवन प्रदान करने से संबंधित सेमिनार आयोजन के संबंध में बैठक।	पदाधिकारी, समाज कल्याण निदेशालय के साथ।
24	24.2.2015	Gender Equality & Early & forced Marriage.	माननीय अध्यक्ष,बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग,पटना।
25	20.03.2015	''बेटी बचाओं–बेटी पढ़ाओं'' Museum सभागार	माननीय अध्यक्ष,बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग,पटना।
26	24.03.2015	Implementation of SOP for Railways to ensure care & Protection of children in contact with Railways in Guwahati (Assam).	माननीय अध्यक्ष,बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग,पटना।
27	25.03.2015	आयोग की बोर्ड की बैठक	अध्यक्ष,सदस्यगण,सचिव एवं पदाधिकारीगण।
28	03.04.2015	Commemoration of Child Protection day in Assam.	माननीय अध्यक्ष,बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग,पटना।
29	10.04.2015	सदस्यों से संबंधित कार्य योजना पर बैठक।	अध्यक्ष,सदस्य, उप सचिव।
30	10.04.2015	शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत नामांकन से संबंधित बैठक।	अध्यक्ष,जिला शिक्षा पदाधिकारी,पटना।
31	10.04.2015	वार्षिक कार्य योजना से संबंधित बैठक।	अध्यक्ष, सभी सदस्यगण एवं पदाधिकारी।
32	12.04.2015	दरभंगा जिले में जुवेनाइल जस्टिस अनुश्रवण समिति प्रमंडल की बैठक–दरभंगा।	माननीय अध्यक्ष,बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग,पटना।

33	11.05.2015	State level task force for Missing Children in Gujarat.	माननीय अध्यक्ष,बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग,पटना।
34	16.05.2015	BSLSA Legal awareness amongst weaker section as described in Section 12 of Legal Services Authorities Act.	माननीय अध्यक्ष,बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग,पटना।
35	17.06.2015	प्रमंडल तिरहुत विधिक प्राधिकार सहायता कार्यशाला कोशी / सारण	माननीय अध्यक्ष,बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग,पटना।
36	03.07.2015	मध्याहन् भोजन योजना से संबंधित बैठक	अध्यक्ष, सहायक निदेशक, विशेष कार्य पदाधिकारी, उप निदेशक, मध्याहन भोजन योजना।
37	03.09.2015	शिकायत निवारण RTE, Hotel Patliputra.	माननीय अध्यक्ष,बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग,पटना।
38	24.09.2015	आयोग की बैठक।	अध्यक्ष, सचिव, सदस्यगण एवं पदाधिकारीगण।
39	24.12.2015	सेमिनार आयोजन हेतु बैठक।	अध्यक्ष एवं सदस्यगण।
40	14.01.2016	National Conference on Implementation of POCSO Act,2012.	श्री अरूण कुमार वर्मा, सदस्य,बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग / जकरण्डा हॉल,इंडिया हेबिटाट सेन्टर, दिल्ली।
41	25.01.2016	सेमिनार संबंधित कार्य पर परिचर्चा हेतु बैठक	अध्यक्ष, सदस्यगण, सचिव एवं पदाधिकारीगण।
42	28.01.2016 से 30.01.2016	Conclave on Gender Equality and Child Rights.	श्री अरूण कुमार वर्मा, सदस्य,बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग / LBSNNA, मंसूरी।
43	14.02.2016	One Day State level Consultation Programme in the Premises of Bihar State legal Services Authority Social Protection For Children & adolescents infected & affected with HIV.	माननीय अध्यक्ष,बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग,पटना।
44	04.03.2016	प्लान इंडिया के साथ सेमिनार आयोजन से संबंधित बैठक।	माननीय अध्यक्ष,सदस्यगण, सचिव एवं पदाधिकारीगण।
45	15.03.2016	पुलिस महानिरीक्षक (कारा) के साथ बैठक	निरीक्षणालय, गृह,विभाग,बिहार,पटना।
46	19.03.2016	One day Regional Consultation on New Education Policy.	माननीय0 अध्यक्ष,बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग / बी0 एन0 आर0 होटल,राँची।
47	04.04.2016 से 05.04.2016	Review cum Deliberation Meeting on Devising Pathways for Re-Engagement of out of School Children.	माननीय अध्यक्ष एवं सदस्य, श्री हाजी अब्दुस्स सत्तार, बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग / Constitution Club of India, New Delhi.
48	08.04.2016	यूनिसेफ के साथ बैठक।	माननीय अध्यक्ष,सदस्यगण,सचिव, प्रतिनिधि यूनिसेफ।
49	11.04.2016	पर्यवेक्षण गृह / बाल गृह से बच्चे भाग जाने के संबंध में बैठक।	मा0अध्यक्ष,सदस्यगण, निदेशक एवं उप निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय, बाल संरक्षण पदाधिकारी, सहरसा एवं भोजपुर।

सेमिनार में भागीदारी

लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (LBSNAA), मंसूरी में दिनांक–28.01.2016 से दिनांक–30.01.2016 तक 'Gender Equality & Child Rights, Sharing Knowledge & Developing an Agenda for Action' पर आयोजित Conclave में बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग का प्रतिनिधित्व आयोग के सदस्य, श्री अरूण कुमार वर्मा द्वारा किया गया। सेमिनार में बच्चों एवं महिलाओं के अधिकार, उनकी सुरक्षा एवं संरक्षण तथा उन पर हो रहे विभिन्न हिंसात्मक घटनाओं से संबंधित विस्तृत चर्चा की गयी व विचार व्यक्त किए गये।

सेमिनार का शुभारंभ LBSNAA के निदेशक डॉ० राजीव कपूर द्वारा करते हुए इसका संचालन भारतीय प्रशासनिक सेवा की श्रीमती रोली सिंह द्वारा की गयी। भारत, मालद्वीप एवं भूटान का प्रतिनिधित्व करने वाले संयुक्त राष्ट्र के Women Office के प्रतिनिधि, डॉ० Rebecca Tavares एवं श्रीमती सरोजनी गंजू ठाकूर (आई0 ए0 एस0) द्वारा राष्ट्रीय संदर्भ में Gender Equality किस प्रकार विकास की ओर है, इस परिपेक्ष्य में विस्तृत चर्चा की गयी।

Advancing Child Rights के संबंध में यूनीसेफ के भारतीय प्रतिनिधि श्री Louis Georges Arsenault तथा Child Rights Activist, श्रीमती नीना नायक द्वारा विस्तृत रूप से चर्चा की गयी। सेमिनार के दूसरे दिन, दिनांक–29.01.2016 को Learning from good Practices सत्र की अध्यक्षता हरियाणा सरकार के Additional Chief Secretary, श्री धीरा खांडेलवाल द्वारा किया गया। महिला सामख्या, सिख न्यू केयर बर्न यूनिट तथा बांगलादेश में हो रहे बच्चों एवं महिलाओं की सुरक्षा एवं अधिकार से संबंधित जानकारियाँ भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के Deputy Commissioner,

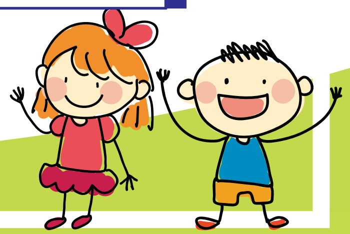

Dr. P.K Prabhakar, Smt. Kameshwari Jandhyala तथा डॉ० बिनायक सेन द्वारा दी गयी। बच्चों और महिलाओं के तस्करी जैसे ज्वलंत मुद्दों पर डॉ० ओ0 पी0 नायर (आई0 पी0 एस0, से0 नि0) तथा कुदुम्ब श्री द्वारा एवं विश्व स्तर पर महिलाओं एवं बच्चों के सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय के संयुक्त सचिव, श्रीतती शारदा मुरलीधरण तथा श्रीमती उषा मिश्रा द्वारा अपने विचार व्यक्त किये गये।

Violence Against Women & Children, Health & Nutrition, Gender & Employment, Children & Social Protection जैसे मुद्दों पर Mr. Flavia Agnes, Mr. Audrey D Mello, Dr. Satish Agnihotri(I.A.S rtd.) Ms. Indrani Majumdar एवंA n t r a Lahiri द्वारा अपने अनुभवों व विचारों को व्यक्त करते हुए बताया गया कि किस तरह महिलाओं और बच्चों के साथ हिंसक घटनाएं होती है, किस तरह महिलाओं और बच्चों का तस्करी किया जाता है, देश की महिलाएं व बच्चे जो पूर्ण पोषक आहार से वंचित है, उनका समाधान किस प्रकार हो सकता है, इसमें सरकार और समाज की क्या भूमिका होनी चाहिए इत्यादि बिन्दुओं पर प्रकाश डाला गया।

सेमिनार का समापन श्रम एवं नियोजन मंत्रालय के सचिव, श्री शंकर अग्रवाल, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयेाग की माननीय अध्यक्ष, श्रीमती स्तुती कक्कर एवं LBSNAA के निदेशक डॉ० राजीव कपूर व National Gender Centre, LBSNAA के कार्यपालक निदेशक,अस्वस्थी शिवदास द्वारा किया गया।

रये विधान, नई जिम्मेदारियाँ

भारतीय संविधान में उल्लेखित कुछ प्रावधानों एवं कुछ अन्य घटनाओं को छोड़कर बाल अधिकार एवं उससे जुड़े मुद्दे अस्सी के दशक के पहले कोई खास चर्चा में नहीं रहा। 1984 में पहली बार शीला वारसे के वाद में बाल अधिकार के मुद्दे भारत में प्रमुखता से सामने आये। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस वाद के सुनवाई के दौरान कई निदेश पारित किये गये। उसके बाद से बाल अधिकार एवं उससे संबंधित मुद्दों पर विभिन्न स्तर पर कार्य किये जाते रहे है, चाहे वह 1984 का किशोर न्याय अधिनियम हो या फिर 1989 संयुक्त राष्ट्र अधिवेशन की समहति के फलस्वरूप 2000 ई0 में बना (किशोर न्याय बालकों की देख–रख एवं संरक्षण) अधिनियम।

इसी क्रम में बच्चों के विभिन्न अधिकारों को प्रदत्त करने के लिए कई अधिनियमों को पारित किया गया यथा मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, बाल श्रम संबंधित अधिनियम, पोक्सो अधिनियम, बाल विवाह अधिनियम इत्यादि। इन अधिनियमों में अन्य बातों के अलावे एक बात की समानता रही और वह है अनुश्रवण की प्रक्रिया एवं क्षेत्राधिकार। लगभग सभी अधिनियमों में जहाँ भी बाल अधिकार की चर्चा होती है अनुश्रवण संबंधी अधिकार, बाल अधिकार से आयोग को ही दिया गया है, चाहे वह शिक्षा से जुड़ा हुआ हो या फिर बच्चों के लैंगिक शोषण से। यद्वपि समेकित रूप से बाल अधिकार संरक्षण आयोग 2005 में बाल अधिकार संरक्षण आयोगों के कार्यों एवं कर्त्तव्य तथा उनकी शक्तियों को विस्तृत रूप से बताया गया है, परन्तु इनके अलावे भी अलग–अलग अधिनियमों में अनुश्रवण तथा बाल अधिकार आयोग के जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से चिन्हित किया गया है। 15 जनवरी 2016 तक किशोर न्याय अधिनियम के अन्तर्गत आयोग को इस संबंध में गृहों के सर्वेक्षण तथा जाँच को छोड़कर कोई विशेष अधिकार या जिम्मेदारी नहीं प्रदान किया गया लेकिन किशोर न्याय अधिनियम 2015 में अनुश्रवण की सारी जिम्मेदारी आयोग को दे दी गई है। आयोग से यह अपेक्षा की जाती है कि अन्य जिम्मेदारियों के साथ इस प्रमुख्य अधिनियम के प्रावधानों को पूर्ण में लागू करने में आयोग अपनी दक्षता का परिचय दे तथा बच्चों के हित में उन प्रावधानों को लागू करवाने में अपनी महती भूमिका का पालन करें। किशोर न्याय (बालकों की देख–रेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 के प्रावधानों में खासतौर पर अनुश्रवण की जिम्मेदारियों का भार उल्लेखित है।

फाईनल

वित्तीय वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 से संबंधित आय–व्यय का ब्यौरा

वित्तीय वर्ष	प्राप्त आवंटन	पूर्व वर्ष की शेष राशि	कुल राशि	कुल व्यय	शेष राशि
2014–2015	1,80,00,000 / –	1,19,59,622 / –	2,99,59,622 / –	1,40,30,219 / –	1,59,29,403 / –
2015–2016	2,00,00,000 / –	1,59,29,403 / –	3,59,29,403 / –	1,59,37,660.20 / –	1,99,91,742.80 / –

सामाजिक कुरीतियाँ, बच्चे एवं आयोग की भूमिका

मानव व्यापार एक अभिशाप है और इसका उन्मूलन आवश्यक है। मानव व्यापार उन्मूलन दिवस 26 जून 2014 के अवसर पर महिला डेवलपमेन्ट सेन्टर एवं आहट के संयुक्त प्रयास से राज्यस्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। ''द फ्रीडम फंड इंडिया प्रोग्राम'' के तहत आयोजित इस कार्यक्रम का प्रबंध जेनेवा ग्लोबल द्वारा किया गया।

लालबत्ती क्षेत्र के लोगों का प्राचीन काल से शोषण होता आ रहा है। यह पूरा समुदाय मानव व्यापार, सेक्स के लिए गुलामी, दासता, वेश्यावृत्ति जैसी कुरीतियों से जूझता आ रहा है। पीढ़ी दर पीढ़ी यह लालबत्ती समुदाय मानव व्यापार के चंगुल में फँसता चला जाता है। इन्हीं लालबत्ती समुदाय के लोगों को मानव व्यापार के चंगुल से छुड़ाने एवं उनके अधिकारों की पैरोकारी के उद्देश्य से इस राज्यस्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम में बिहार के 12 लालबत्ती जिलों के प्रतिनिधियों, मीडिया, मानव व्यापार के विरूद्ध काम करने वाली स्वयं सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों, विभिन्न जिलों के बाल कल्याण समिति के सदस्यों, सरकारी प्रतिनिधियों, राष्ट्रीय एवं अंतराष्ट्रीय स्तर पर बाल शोषण के विरूद्ध काम करने वाले नेटवर्क प्रतिनिधियों आदि ने भाग लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्रीमती रीता पाणिकर, निदेशक बटरफ्लाइज ने किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में श्रीमती निशा झा, अध्यक्ष, बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में सुश्री डॉ० कुमारी ज्योत्सना, उपनिदेशक, नेहरू युवा केन्द्र संगठन ने भाग लिया।

कार्यक्रम की मुख्य अतिथि श्रीमती निशा झा ने बच्चों के अधिकार पर और अधिक जागरूक एवं संवेदित होने की आवश्यकता पर बल दिया। श्रीमती निशा झा द्वारा आहट संगठन द्वारा किये जा रहे कार्यों को सराहा गया। साथ ही इस संगठन एवं समुदाय की पीड़िताओं का साथ देने की बात कही गयी। आयोग द्वारा लालबत्ती इलाकों में परवरिश योजना लागू करवाने एवं युवाओं को पोक्सो अधिनियम की जानकारी वृहत रूप से देने की बात कही गई। समाज की विभिन्न कुरीतियों को समाप्त करने के लिए युवाओं को आगे आने व उनकी मानसिकता में

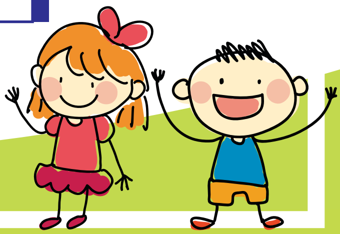

बदलाव लाने की आवश्यकता जतायी गयी। उपस्थित आहट के सभी सदस्यों द्वारा श्रीमती निशा झा को संगठन का संरक्षक बनाया गया।

कार्यक्रम की अध्यक्षता श्रीमती रीता पाणिकर, निदेशक, बटरफ्लाईज़ द्वारा की गयी। उनके द्वारा ब्यूरोक्रेट्स को इन मुद्दो पर संवेदित करने हेतु लगातार प्रयास करने की बात कही गयी। परिवर्तित समय में अपनी नीतियों को भी आवश्यकतानुसार बदलाव कर इस दिशा में बेहतर कार्य करने की बात कही गयी।

महिला डेवलपमेंट सेंटर के सचिव, श्री परमहंस प्रसाद सिंह द्वारा लालबत्ती समुदाय के लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु महिला डेवलपमेंट सेंटर को पिछले दो दशको से प्रयासरत बताया गया। लालबत्ती क्षेत्रों में सरकार की योजनाएं क्रियान्वित नहीं है जिसके फलस्वरूप इस समुदाय के लोग समाज की मुख्य धारा से नहीं जुड़ पा रहे है। राज्य के ऐसे सभी इलाको में विशेष विकासात्मक योजनाओं के संचालन की आवश्यकता जतायी गयी ताकि इस समुदाय के लोग समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके। सभी उपस्थितों से इस समुदाय के लोगों के मानव अधिकार, महिला अधिकार, एवं बाल अधिकार की रक्षा के लिए संयुक्त प्रयास करने की बात रखी गयी।

कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेने वाली सुश्री डॉ० कुमारी ज्योत्सना ने लालबत्ती क्षेत्रों के युवाओं के पुनर्निर्माण पर बल दिया। युवाओं को जागरूक एवं शिक्षित करने की आवश्यकता जतायी गयी। महिला डेवलपमेंट सेंटर की अध्यक्ष, श्रीमती रूही नाज ने लोगों का ध्यान चतुर्भुज स्थान की ओर आकृष्ट करते हुए बताया कि चतुर्भुज स्थान के बच्चे पढ़ाई में अच्छा कर रहे है। वे सरकारी एवं गैर सरकारी प्रतिष्ठत सेवाओं में है, मेडिकल एवं इंजीनियरिंग में पढ़ रहे है। यह महिला डेवलपमेन्ट सेंटर के एक छोटे प्रयास से ही संभव हो सका। ऐसे प्रयास की आवश्यकता सभी इलाको में है।

रेड एवं रेस्क्यू की चर्चा में यह बात सामने आयी कि छापेमारी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मानव व्यापारी कभी भी पकड़ में नहीं आते, जबकि उनके गुर्गे स्थानीय समुदाय में सक्रिय रहते है और उनके माध्यम से ही पूरा कारोबार

संचालित होता है दोषियों की गिरफ्तारी बहुत कम होती है तथा बहुत कम ऐसी पीड़िताओं की रेस्क्यू की जाती है जिन्हें जबरदस्ती वैश्यावृत्ति में धकेला गया हो। अगर रेस्क्यू की भी जाती है तो उनका समाज में पुनर्वास नहीं हो पाता है।

लालबत्ती इलाको में बड़े पैमाने पर मानव अधिकारों के हन्न के मुद्दे पर विस्तृत चर्चा की गयी। मानव जाति में जन्म लेने के पश्चात् वे सारे अधिकार उन्हें मिलने चाहिए जो राष्ट्रीय एवं अंतराष्ट्रीय रूप से कानून के रूप में पारित है। 10 दिसम्बर 1948 को युनाइटेड नेशन्स की आम सभा ने वैश्विक मानवाधिकार घोषित किया, जो भारत सहित दुनिया के सभी देशों में लागू है। ये मानव अधिकार समान्य रूप से सभी मानवों के स्वतंत्रता, उनके हित एवं सम्मान की रक्षा करता है। मानवधिकार का अर्थ उन अधिकारों से है जो किसी भी व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता तथा रंग, नस्ल, जाति, धर्म अथवा संस्कृति के आधार पर इसमें भेदभाव नहीं किया जा सकता।

हमारे संविधान में एवं अतंराष्ट्रीय स्तर पर इतने कानून रहने के बाद भी इन लालबत्ती इलाके के लोगों को मानवाधिकार प्राप्त नहीं है। समाज इस समुदाय को मनोरंजन के स्त्रोत के रूप मात्र में ही देखता आया है।

लालबत्ती इलाको में बच्चे के जन्म से ही भेदभाव प्रारंभ हो जाता है। विद्यालय में उन्हें बच्चों के साथ खेलने, पढ़ने एवं घुलने–मिलने की आजादी नहीं होती। इसका विरोध करने पर माताओं एवं परिवार के अन्य सदस्यों को बोलने नहीं दिया जाता एवं उनकी बातों को अनसुना कर दिया जाता है। विद्यालय के अतिरिक्त समाज के अन्य सार्वजनिक स्थानों में भी उन्हें हेय की दृष्टि से देखा जाता है। आर्थिक अधिकारों के दृष्टिकोण से भी समुदाय के लोगों का शोषण किया जाता है। बड़े–बड़े मानव व्यापारी इन इलाकों में मनुष्यों की खरीद फरोख्त करते है और आर्थिक रूप से मजबूत होते जाते है।

महिला डेवलेपमेन्ट सेंटर का यह मानना है कि विकासात्मक प्रयास से ही इस समुदाय के लोगों को मुख्य धारा में लाया जा सकता है एवं इस कुरीति को समाप्त किया जा सकता है।

श्रीमती रीता पाणिकर, निदेशक बटरफ्लाइज़ द्वारा बताया गया कि साइवैक (SAIEVAC) South Asian Initiative to end Violence against Children सार्क देशों के संगठन की एपेक्स संस्था है जो बच्चों के शोषण एवं उत्पीड़न के विरूद्ध कार्यरत है। अफगानिस्तान, बंग्लादेश, भुटान, भारत, मालदीप, नेपाल, पाकिस्तान एवं श्रीलंका सार्क देशों में आते है। ये देश साइवैक के सदस्य देश भी हैं। साइवैक सरकारी तथा गैर सरकारी हितभागियों को एक साथ एकजुट करने का प्रयास कर रहा है, ताकि बच्चों के खिलाफ हो रहे शोषण एवं उत्पीड़न को रोका जा सके। यह संगठन मुख्यतः बच्चों से जुड़े समस्याओं बाल विवाह, लैंगिक शोषण, शारीरिक दण्ड, बाल व्यापार, बाल मजदुर के विरूद्ध कार्यरत है। समुदाय में बच्चों को अधिक जोखिम होता है और वे तस्करों के हत्थे चढ़ जाते है, बाल वैश्यावृत्ति की रोकथाम में कानून का पक्ष, सजा के प्रावधान आदि पर विस्तृत चर्चा की गयी।

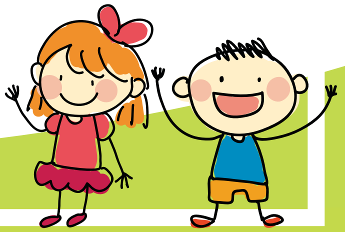

नये विहान के रथ पर बाल अधिकार आयोग

किसी भी राष्ट्र की प्रगति का एक तय मापदंड वहाँ के बच्चे एवं महिलाओं की स्थिति मानी जाती है। अकसर बच्चे को देश का भविषय कहा जाता है बल्कि भारतीय संस्कृति में बच्चों में लोग ईश्वर का रूप भी देखते है। इसके साथ यह भी सत्य है कि भविष्य की रूप रेखा वहाँ का वर्तमान यह करती है तथा बच्चे के वर्तमान का दायित्व बाल अधिकार संरक्षण आयोग पर होता है। आयोग का यह दायित्व है बच्चों के संदर्भ में दी गई जिम्मेदारियों को पूर्णतः के साथ पालन करें जिससे की एक उन्नतशील एवं समर्द्ध राष्ट्र का निर्माण सम्भव हो सके। 2010 ई0 में अस्तित्व में आये बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने अपने स्थापना के काल से ही बच्चों के हित में उन्हें उनके अधिकारों को दिलाने हेतु एकजुटता के साथ कार्य किया है। बहुत कम समय में अपनी पहचान बनाने वाले इस आयोग ने न सिर्फ विभिन्न विभागों को निदेश देकर बल्कि उन्हें प्रात्साहित कर बच्चों के कार्य को प्रमुखता से करने के लिए प्रेरित किया है बल्कि समाज के विभिनन वर्गों के बीच बच्चों के अधिकार के विषय में उनकी प्रमुख भूमिका को रेखांकित करनेका प्रयास किया है।

चाहे शिक्षा का अधिकार या जीने का संरक्षण का अधिकार हो या फिर भागीदारी का फिर स्वास्थ्य का आयोग बच्चे से संबंधित उन सभी अधिकारों को प्रदत्त करने में अपनी भूमिका का निर्वाह किया है तथा उसके लिए संबंधित अधिकारियों एवंज न मानक को भी उद्वेरित करने का प्रयास किया है। निश्चित तौर पर आयोग के सदस्यों की भूमिका के साथ–साथ अध्यक्ष का दिशा–निदेश, सचिव का मार्गदर्शन, अधिकारियों एवं परामर्शी का सहयोग, उनकी दक्षता तथा विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थानों की सहभागिता आयोग के सफलता के मुख्य कार्य तत्व है। बदलते समय के परिवेश में आयोग बच्चों के हित में पूर्ण सफलता के साथ अपने दायित्वों के पालन कराने के मार्ग पर प्रशस्त रहेगा जिससे राज्य एवं राष्ट्र अधिक उन्नतशील समर्द्ध एवं सफल होकर विश्व के मानचित्र पर उभरेगा।